


LATEST EDITON



# राजस्थान 3rd ग्रेड


(REET मुख्य परीक्षा हेतु)

1  
LEVEL

HANDWRITTEN NOTES

भाग-2

राजस्थान का GK + शैक्षिक परिदृश्य + विज्ञान +  
सामाजिक अध्ययन + शिक्षण विधियाँ



# INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

## राजस्थान 3rd ग्रेड

### REET LEVEL - 1

मुख्य परीक्षा हेतु

भाग - 2

राजस्थान का GK + शैक्षिक परिदृश्य + विज्ञान +  
सामाजिक अध्ययन + शिक्षण विधियाँ

## प्रस्तावना

प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स “राजस्थान 3<sup>rd</sup> ग्रेड (REET मुख्य परीक्षा लेवल - 1 हेतु) को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSMSSB) द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा “राजस्थान 3<sup>rd</sup> ग्रेड (REET मुख्य परीक्षा लेवल - 1)” की परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगे /

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती है / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302017 (RAJASTHAN)

मो : 01414045784, 8233195718

ईमेल : [contact@infusionnotes.com](mailto:contact@infusionnotes.com)

वेबसाइट : <http://www.infusionnotes.com>

**Online Order Link** - <https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes>

**Whatsapp Link** - <https://wa.link/hx3rcz>

**Contact us at** - **9694804063 + 8233195718**

मूल्य : ₹

संस्करण : नवीनतम (2022)

## राजस्थान का सामान्य ज्ञान

1. राजस्थान के प्रतीक चिह्न	1
2. राजस्थान की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं	5
• राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनायें	
3. राजस्थान के अनुसंधान केंद्र	22
4. राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल	27
5. राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी	29
6. राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि	31
7. राजस्थान के प्रमुख उद्योग	31
8. राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था (परिचय)	36

## शैक्षिक परिदृश्य

1. शिक्षण अधिगम के नवाचार	95
2. राजस्थान व केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं व पुरस्कार	101
3. विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ	106
4. भारत की नई शिक्षा नीति 2020	113

## निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम

1. निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -  
2009 प्रावधान एवं क्रियान्वित 115
2. राजस्थान निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम नियम  
2011 120
3. राजस्थान के निजी विद्यालयों में निशुल्क प्रवेश 125

## सामान्य विज्ञान

1. अम्ल, क्षार और लवण 126
2. तत्त्व , यौगिक एवं मिश्रण 128
3. भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन 143
4. गति, बल , गति के नियम एवं गुरुत्वाकर्षण 146
5. प्रकाश 151
6. कोशिका संरचना एवं प्रकार्य 157
7. जीवों में श्वसन तंत्र एवं परिवहन 162
8. जंतुओं में जनन 164

## विज्ञान की शिक्षण विधियाँ

1. विज्ञान की शिक्षण विधियाँ	173
2. विज्ञान शिक्षण के उपागम	182
3. विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग	185
4. विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियाँ	188
5. निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	194

## सामाजिक अध्ययन

1. राजस्थान का सामान्य परिचय	197
2. मुगल साम्राज्य	239
3. राजस्थान की अर्थव्यवस्था	248
4. पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप	285
5. भारत प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव व संरक्षण	292
6. राजस्थान में कृषि	304
7. भारतीय संविधान	311
• भारत का संवैधानिक विकास	
• संविधान सभा	
• भारतीय नागरिकता	
• मौलिक अधिकार	
• मूल कर्तव्य	
• भारतीय संसद (विधायिका)	

- लोकसभा
  - राज्यसभा
  - प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद्
  - उच्चतम न्यायालय
  - राज्य कार्यपालिका
  - मुख्यमंत्री, राज्य महाधिवक्ता, राज्य विधानमण्डल
  - विधानपरिषद् के कार्य एवं शक्तियाँ
  - उच्च न्यायालय
  - पंचायती राज
  - निर्वाचन आयोग
  - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
  - नीति आयोग
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
  - संविधान संशोधन
8. राजस्थान का संविधान निर्माण में योगदान 359
9. राजस्थान में लोक प्रशासन 361

### सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियाँ

1. सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति 374
2. शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री 386
3. सामाजिक अध्ययन में अध्यापन संबंधी समस्याएँ 389

4. प्रायोजना कार्य	389
5. सामाजिक अध्ययन में मूल्यांकन	392
6. निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण	398

## राजस्थान का सामान्य ज्ञान

### अध्याय - 1

#### राजस्थान के प्रतीक चिह्न

#### (State Symbol of Rajasthan)

#### 1. राजस्थान राज्य पशु (Rajasthan State Animal):- चिंकारा (chinkara) (वन्य जीव श्रेणी)

- चिंकारे को राज्य पशु का दर्जा - 22 मई, 1981
- चिंकारे का वैज्ञानिक नाम - गज्जला - गज्जला
- चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है।
- राज्य में सर्वाधिक चिंकारे जोधपुर में देखे जा सकते हैं।
- चिंकारे को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है।
- चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य (जयपुर) प्रसिद्ध है।
- "चिंकारा" नाम से राजस्थान में एक तत् वाद्य यंत्र भी है।
- चिंकारा श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है।

#### 2. राजस्थान राज्य पशु (Rajasthan State Animal) : ऊँट (Camel) (पशुधन श्रेणी)

- 30 जून, 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में ऊँट को राजकीय पशु घोषित किया गया
- ऊँट को राज्य पशु का दर्जा - 19 सितम्बर 2014
- ऊँट वध रोक अधिनियम - दिसम्बर 2014
- ऊँट का वैज्ञानिक नाम "कैमेलस ड्रोमेडेरियस" है।

- ऊँट को अंग्रेजी में "केमल" के नाम से जाना जाता है।
- ऊँट को स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज (कर्नल जेम्स टॉड) के नाम से जाना जाता है।
- राजस्थान में भारत के 81.37 प्रतिशत (2012) ऊँट पाये जाते हैं।
- ऊँटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में एकाधिकार है।
- राजस्थान की कुल पशु सम्पदा ऊँट सम्पदा का प्रतिशत 0.56 प्रतिशत है।
- राज्य में जैसलमेर सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला है। प्रतापगढ़ सबसे कम ऊँटों वाला जिला है।
- ऊँट अनुसंधान केन्द्र जोहड़बीड (बीकानेर) में स्थित है। ऊँट प्रजनन का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में स्थित है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया। ऊँटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण इसके दूध का दही नहीं जमता है।
- ऊँटनी का दूध मधुमेह (डायबिटीज) की रामबाण औषधि के साथ-साथ यकृत व प्लीहा रोग में भी उपयोगी है।
- भारतीय सेना के नौजवान थार मरुस्थल में नाचना ऊँट का उपयोग करते हैं।
- जैसलमेर के नाचना का ऊँट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है।
- गोमठ - फलोंदी-जोधपुर का ऊँट सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है।
- बीकानेरी ऊँट सबसे भारी नस्ल का ऊँट है। इसलिए बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने की दृष्टि से प्रसिद्ध है। राज्य में लगभग 50% इसी नस्ल के ऊँट पाले जाते हैं।
- ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। ऊँटों के बीमार होने पर रात्रिकाल में पाबूजी की

फड़ का वाचन किया जाता है। राजस्थान में ऊँटों को लाने का श्रेय भी पाबूजी को है।

- ऊँटों के गले का आभूषण गोरबंद कहलाता है
- ऊँटों में पाया जाने वाला रोग सर्री रोग है। प्रदेश में ऊँटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण सर्री रोग है। इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में ऊँटों में **सर्री रोग नियंत्रण योजना** प्रारम्भ की गई।
- ऊँटों का पालन-पोषण करने वाली जाति राईका अथवा रेबारी है।
- ऊँटों की चमडी पर की जाने वाली कला उस्ता कला कहलाती है। उस्ता कला को मुनवती या मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है उस्ता कला मूलतः लाहौर की है। उस्ता कला को राजस्थान में बीकानेर के शासक अनूपसिंह के द्वारा लाया गया। अनूपसिंह का काल उस्ता कला का स्वर्णकाल कहलाता है। उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। उस्ताद मुख्यतः बीकानेर और उसके आस-पास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार हिस्सामुद्दीन उस्ता को माना जाता है, जो कि बीकानेर का मूल निवासी थे उस्ता कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हनीफ उस्ता है उस्ता कला के एक अन्य कलाकार इलाही बख्स ने महाराजा गंगासिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया, जो कि यू. एन.ओ. के कार्यालय में रखा हुआ है
- महाराजा गंगासिंह ने चीन में ऊँटों की एक सेना भेजी जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है।
- पानी को ठण्डा रखने के लिए ऊँटों की खाल से बने बर्तन को काँपी के नाम से जाना जाता है।
- सर्दी से बचने के लिए ऊँटों के बालों से बने वस्त्र को बाखला के नाम से जाना जाता है।
- ऊँट पर कसी जाने वाली काठी को कूची या पिलाण के नाम से जाना जाता है ऊँटों की नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील गिरबाण कहलाती है।
- ऊँट की पीठ पर कुबड़ होता है। कुबड़ में एकत्रित वसा इसकी ऊर्जा का स्रोत है
- ऊँट व ऊँट पालकों के लिए वर्ष 2008-09 में भारतीय जीवन बीमा निगम तथा जनरल इंश्योरेंस

कम्पनी के सहयोग से “ऊँट एवं ऊँट पालक बीमा योजना” लागू की गई

- ऊँट का पहनावा - पीठ पर काठी, गर्दन पर गोरबन्द, टाँगों पर मोडिया, मुख पर मोरखा, पूँछ पर पचनी, गद्दी मेलखुरी
- ऊँटों की प्रमुख नस्लें - बीकानेरी, जैसलमेर, मारवाड़ी, अलवरी, सिंधी, कच्छी, केसपाल, गुराह

### 3. राजस्थान राज्य पक्षी (Rajasthan State Bird) : गोडावण (Godavana)

- गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा - 21 मई, 1981
- गोडावण का वैज्ञानिक नाम - **क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स**
- गोडावण को अंग्रेजी में **ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड** कहा जाता है।
- गोडावण को स्थानीय भाषा में **सोहन चिड़िया या शर्मीला पक्षी** कहा जाता है।
- इसे हाड़ौती क्षेत्र (सोरसेन) में “**मालमोरड़ी**” कहा जाता है।
- गोडावण के अन्य उपनाम - सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर व गुधनमेर है।
- राजस्थान में गोडावण सर्वाधिक तीन क्षेत्रों में पाया जाता है -
  1. सोरसन (बारां)
  2. सोंकलिया (अजमेर)
  3. मरुघान (जैसलमेर, बाड़मेर)।
- गोडावण के प्रजनन हेतु **जोधपुर जंतुआलय** प्रसिद्ध है।
- गोडावण का प्रजनन काल अक्टूबर, नवम्बर का महिना माना जाता है।
- गोडावण मूलतः **अफ्रीका का पक्षी है।**
- गोडावण की कुल ऊंचाई - लगभग 4 (NCRT book में) मीटर)
- इसका ऊपरी भाग नीला दिखाई देता है।
- गोडावण शतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है।

- वास्तुकार - विद्याधर भट्टाचार्य
- जयपुर के निर्माण के बारे में बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है।
- जयपुर का निर्माण जर्मनी के शहर द एल्ट स्टड एर्लंग के आधार पर करवाया गया है।
- जयपुर का निर्माण चौपड़ पैटर्न के आधार पर किया गया है।
- जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय रामसिंह द्वितीय को है।

### 10. राजस्थान राज्य लोक नृत्य (Rajasthan State Folk Dance) : घूमर (Ghoomar)

- घूमर को राज्य की आत्मा के उपनाम से जाना जाता है
- घूमर के तीन रूप हैं
- झूमरिया - बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य
- लूर - गरासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य
- घूमर इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती हैं

## अध्याय - 2

### राजस्थान की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं

#### राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी

#### योजनायें

#### वित्तीय क्षेत्र की योजनाएं

##### भामाशाह योजना

भामाशाह योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो प्राप्तकर्ताओं को सीधे सरकारी योजनाओं के वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभों को हस्तांतरित करती है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 15 अगस्त 2014 को इस योजना का उद्घाटन किया।

विभिन्न नकदी के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना, राजश्री योजना, भास्कर स्वास्थ्य बीमा योजना, पालनहार, छात्रवृत्ति, राशन वितरण आदि जैसे गैर-नकद योजनाओं का लाभ भामाशाह मंच के माध्यम से किया गया है।

**उद्देश्य:** वित्तीय समावेश, महिला सशक्तिकरण और प्रभावी सेवा वितरण।

##### मुख्य विशेषताएं:

- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना की परिकल्पना सबसे पहले, 2008 में की गई थी लेकिन अन्ततः 2014 में पुनर्निर्माण और लॉन्च किया गया।
- भामाशाह कार्ड के माध्यम से अनेक लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद लाभ स्थानांतरित किया गया है।
- गैर नकद लाभ भी सीधे हकदार लाभार्थियों को दिया जाता है

##### क्रियाविधि :

- घर की सबसे बड़ी महिला के नाम पर बैंक खाते खोले जा रहे हैं और पूरे राज्य में परिवारों को यह भामाशाह कार्ड दिए जा रहे हैं।

- सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सभी नकद लाभ सीधे इन बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएंगे।
- विभिन्न सरकारी योजनाओं के गैर-नकद लाभों के हस्तांतरण के लिए भी कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- भामाशाह योजना में, नामांकन के समय, परिवार की पूरी जानकारी और उसके सभी सदस्यों को भामाशाह कार्ड में जोड़ा जाता है। सभी सरकारी योजनाएं जिसके लिए परिवार का कोई भी सदस्य हकदार है, उनकी जानकारी (जैसे पेंशन नंबर, नरेगा नौकरी कार्ड संख्या आदि) भी भामाशाह से जोड़ी जाती है। व्यक्तिगत लाभार्थियों का बैंक खाता भी भामाशाह से जुड़ा होता है, जो कि उनके बैंक खातों में नियत तारीख पर सरकारी योजनाओं (पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति, जननी सुरक्षा आदि) का लाभ पौछा दिया जाता है।
- भामाशाह योजना का नामांकन ई-मित्रा काउंटर पर बदला जा सकता है।
- लाभार्थी को निकासी की सुविधा के लिए रुपये डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है।
- नकद लाभों के अलावा, भामाशाह योजना के माध्यम से फिंगरप्रिंट द्वारा बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण से उचित मूल्य वाली दुकानों से राशन वितरण जैसे अन्य लाभ भी उपलब्ध कराए जाते हैं।
- भामाशाह प्लेटफार्म इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी के लिए JAM(जन धन, आधार और मोबाइल) ट्रिनिटी का लाभ उठा सकता है।

### भामाशाह कार्ड:

- बायोमीट्रिक कार्ड
- केवल महिलाएं ही नहीं, बल्कि पुरुष सदस्य भी निम्न प्रकार के भामाशाह कार्ड बना सकते हैं।

### परिवार कार्ड:

- भामाशाह कार्ड परिवार की महिला प्रमुख को राज्य सरकार द्वारा निः शुल्क प्रदान किया जाता है, जिसमें पूरे परिवार के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। भामाशाह कार्ड, UID (आधार) के माध्यम से

लाभार्थी की बायोमीट्रिक पहचान लेता है और अपने मुख्य सक्षम बैंक खाते के साथ संबंध सुनिश्चित करता है।

### व्यक्तिगत कार्ड:

- नामांकित परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा मामूली शुल्क का भुगतान करके व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड प्राप्त किया जा सकता है। यह कार्ड, पहचान पत्र होने के अलावा, व्यक्तिगत अधिकारों को रेखांकित भी करता है जैसे पेंशनभोगी, असंगठित श्रमिक आदि।

### अन्नपूर्णा भंडार योजना:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए PPP मॉडल राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) पेश की। यह योजना 31 अक्टूबर 2015 को जयपुर जिले के भमभोरी गांव से लोगों को गांव-गांव तक ब्रांडेड उत्पादों को उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था।

राजस्थान सरकार ने राशन दुकानों के माध्यम से बहु-ब्रांड उपभोक्ता वस्तुओं को बेचने के लिए फ्यूचर ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस योजना को पहले चरण में 5,000 राशन की दुकानों के माध्यम से लागू किया गया था।

### पात्रता:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल व्यक्ति और परिवार इसके लिए पात्र हैं

### सकारात्मक परिणाम:

- अन्नपूर्णा स्टोर जहां आधुनिक खुदरा का लाभ PDS की दुकानों के माध्यम से राज्य के लोगों तक पहुंचाया जाता है को ग्रामीण मॉल के रूप में घोषित किया गया है। इन उचित मूल्य की दुकानों पर अब अनाज, सब्जी, चीनी इत्यादि के साथ ही फ्यूचर ग्रुप के पोर्टफोलियो द्वारा ब्रांडेड उपभोक्ता उत्पाद भी प्राप्त होंगे। यह योजना 5000 FPS डीलरों के साथ एक उद्यमिता ड्राइव बन गई है इसने डीलरों की

बिक्री बढ़ा दी है और उन्हें मुनाफे का संचालन करने की अनुमति भी दी है।

## जन स्वास्थ्य सेवा योजनाएं

### **भामाशाह स्वास्थ्य बीमा**

#### भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना 13 दिसंबर 2015 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को कैंशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सेवाएं सरकारी अस्पतालों व निजी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लोगों का खर्चा स्वास्थ्य पर कम करना है।

#### **विशेषताएं:**

यह योजना IPD रोगियों को नकद रहित सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए सरकार (मेडिकल और स्वास्थ्य विभाग) द्वारा बीमा कंपनी "न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी" के माध्यम से अस्थाई तौर पर प्रति वर्ष एक निश्चित प्रीमियम प्रति परिवार के लिए निश्चित किया गया है।

#### **योजना का उद्देश्य:**

- सरकारी पैसे को बचाने करने के लिए
- ऐसी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल प्रदान करने के लिए जो जेब पर बड़ा असर न डाले
- बीमारी के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए
- राज्य की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के लिए
- एक ऐसा डेटाबेस बनाने के लिए जो हेल्थकेयर नीति परिवर्तन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
- ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांति लाने के लिए - निजी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों को खोलने का बढ़ावा प्रदान करके सरकारी सुविधाओं पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए।

#### **पात्रता:**

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल परिवार।

#### **महत्वपूर्ण विशेषताएं:**

- हर योग्य परिवार को हर साल सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अस्पताल में भर्ती के दौरान हुए खर्च व भर्ती से 7 दिन पहले से 15 दिन बाद तक का खर्च शामिल किया जाता है।
- भामाशाह योजना के लिए न्यू इंडिया इश्योरेंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- इस योजना में 1715 रोग शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, नेफ्रोलॉजी, ग्रेसोलॉजी, न्यूरोलॉजी और मनश्चिकित्सा सहित 300 से अधिक विशेषता उपचारों के लिए पैकेज भी जोड़े जाएंगे।
- भामाशाह योजना से पहले, चल रही योजनाओं में केवल दवाएं और चेक नकद में उपलब्ध थे, लेकिन अब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी चेक, उपचार, डॉक्टर की फीस, संचालन आदि शामिल किए गए हैं।

#### **अंतरा इंजेक्शन योजना:**

- गर्भनिरोधक इंजेक्शन के माध्यम से परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान सरकार ने भीलवाड़ा से अंतरा इंजेक्शन योजना शुरू की है।
- इंजेक्शन 3 महीने के लिए कारगर हैं और इसे इच्छुक जोड़ों के लिए सरकारी अस्पताल में नि:शुल्क उपलब्ध कराया गया है।

#### **मिशन इंद्र-धनुष:**

- यह घातक रोगों के खिलाफ बच्चों की रक्षा के लिए यूनिवर्सल टीकाकरण अभियान है।
- यह एक विशेष अभियान है यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे को एक भी वैक्सिन से वंचित नहीं किया गया है।
- इस योजना में 9 घातक रोगों जैसे पोलियो, टीबी, डिफ्थेरिया, होपिंग खांसी, टिटनेस, डायरिया,

हैं और वर्तमान में 10,546 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

### नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP):

- यह चयनित ITI, ITC, KVK, DCTC, RSETI, NGO और पंजीकृत स्वामित्व / भागीदारी फर्म / प्राइवेट लिमिटेड कंपनी / पब्लिक लिमिटेड कंपनी / सोसाइटी / ट्रस्ट / एसोसिएशन के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए RMOL का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना और आत्म-रोजगार आधारित आजीविका को सक्षम करना है।
- इस योजना की मुख्य विशेषता महिलाओं, युवाओं, जेल कैदियों और विकलांग व्यक्तियों (PSA) की लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से आजीविका में वृद्धि करना है। 2015-16 के दौरान 2965 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और वर्तमान में प्रशिक्षण के तहत 1,781 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

### पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY):

- इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को कौशल और मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी गरीबी को कम करना है।
- राजस्थान एक अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना है जिसका लक्ष्य एक लाख BPL युवाओं को प्रशिक्षित करना है।
- यह योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। वर्तमान में, 36 परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) ने राज्य भर में 120 कौशल विकास केंद्र (SDC) स्थापित कर दिए हैं।
- 2015-16 के दौरान 18,909 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 5,712 लाभार्थियों को इस योजना में प्रशिक्षण मिल रहा है।

### कौशल विकास पहल योजना (SDIS):

रोजगार और प्रशिक्षण (DGE&T) के महानिदेशालय के SDIS को कार्यान्वित करने के

लिए राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी, 2014 में राजस्थान के कौशल विकास पहल समाज (RSDIS) का पुनर्गठन किया है।

यह ITI और निजी प्रशिक्षण भागीदारों / संस्थानों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VTP) स्थापित करके किया जाता है।

दिसंबर, 2015 तक 2,274 युवाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है।

नारायण मल्टी-स्पेशलिटी हॉस्पिटल(जयपुर), मेडिकल और नर्सिंग सेक्टर में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है और इस योजना के तहत कई और संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं।

### ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं

#### राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद - राजीविका (RGAVP)

RGAVP एक स्वायत्त संस्था है जिसे अक्टूबर, 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। यह समिति, समाज पंजीकरण अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत है और स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित संस्थागत वास्तुकला से जुड़े सभी ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनिवार्य है।

वर्तमान में, RAJEEVIKA द्वारा निम्नलिखित आजीविका परियोजनाएं लागू की जा रही हैं: -

- विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना (RRLP) जून, 2011 से 60 विभागों में कार्यान्वित की जा रही है।
- अप्रैल, 2013 से 9 विभागों में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP) लागू की जा रही है।
- भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) को अप्रैल, 2013 के बाद से चरणबद्ध तरीके से शेष विभागों में लागू किया जा रहा है।

## राजस्थान में क्षेत्रीय विकास योजनाएँ

### **मिटिंगेटींग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान**

यह परियोजना वर्ष 2016-17 में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली और जालौर जिलों में प्रत्येक में एक ब्लॉक में कार्यान्वित की जा रही है सिरोही(पिंडवाड़ा) और जोधपुर(बालेसर) के दो नए ब्लॉकों को योजना में सम्मिलित किया गया है। इसके तहत, क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह(SHG) का गठन किया गया है तथा इन्हे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंक साख सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

### **मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम**

मेव के निवास क्षेत्र को मेवात क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। मेव समुदाय अलवर और भरतपुर जिले के 12 ब्लॉक में केंद्रित है। मेव अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और इसलिए, राजस्थान सरकार मेवात क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए 1987-88 से एक विशेष विकास कार्यक्रम चला रही है।

### **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP)**

केंद्रीय प्रवर्तित योजना (CSS) के रूप में 7 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) पेश किया गया था। BADP केंद्रीय सरकार की नीतिगत पहल है। जिसके अनुसार सीमावर्ती जिलों का संतुलित विकास किया जाना है।

यह कार्यक्रम राज्य के 4 सीमावर्ती जिलो बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर के 16 ब्लॉकों, में लागू किया जा रहा है। BADP के तहत, ज्यादातर फंड सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए निवेश किया जाता है। साथ ही सीमावर्ती जिलों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास की गतिविधियों को पर्याप्त महत्व दिया गया है।

### **डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम**

राजस्थान सरकार द्वारा 2004-05 में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनः लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में 8 जिलों (सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बारां, झलावाड़, भरतपुर, कोटा और बूंदी) की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतें शामिल हैं।

मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान का दक्षिणी मध्यवर्ती हिस्सा विशेष रूप से अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद की पहाड़ियों से घिरा हुआ है यह हिस्सा जनजातीय क्षेत्र विकास (TAD) के तहत कवर नहीं किया जाता तथा स्थानीय रूप से "मगरा" नाम से जाना जाता है।

निवासियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर में सुधार करने के लिए, 5 जिलों के 14 ब्लॉकों में 2005-06 से "मगरा क्षेत्र विकास अभियान" शुरू किया गया था। वर्तमान में यह उपरोक्त जिलों के 16 ब्लॉकों में कार्यान्वित किया जा रहा है। क्षेत्र के विकास के लिए जल विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पेयजल, शिक्षा, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण की गतिविधियां संचालित की गई हैं।

### **गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना (GGJVV)**

राज्य के सभी 33 जिलों में गुरु गोळवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना 30.09.2014 को शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विकास, रोजगार सृजन, निर्माण और सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव के लिए सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह योजना राज्य द्वारा वित्त पोषित है और राज्य के ग्रामीण इलाकों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत "शामशान/ कब्रिस्तान" की सीमा-दीवारों के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत धन उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए, 70 प्रतिशत धनराशि और जनजातीय उप योजना (TSP) क्षेत्रों में 80 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।

### **विधान सभा के सदस्यों द्वारा स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MLALAD)**

इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिता की मूलभूत संरचना बनाने और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए स्थानीय जस्सत आधारित आधारभूत संरचना का विकास करना है। यह योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रति वर्ष 2.25 करोड़ तक के कार्यों की सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया गया है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के विकास के लिए सालाना कुल आवंटित राशि का कम से कम 20 प्रतिशत अनुशंसित होना चाहिए। मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना (MJSY) के तहत कुल आवंटन का 25 प्रतिशत या कुल कार्यों का 25 प्रतिशत आरक्षित होना चाहिए।

### पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर कार्यक्रम -

पंचायत स्तर पर ग्रामीण लोगों की शिकायतों का निपटान करने व ग्रामीण लोगों की भलाई के लिए पंचायत शिविरों का आयोजन किया जाता है। "पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविरों" 14 अक्टूबर, 2016 से शुरू हुए हैं।

### मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना (MAGPY)

इस योजना में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि जैसे कई क्षेत्रों में चयनित गांवों के एकीकृत विकास की परिकल्पना की गई है। बुनियादी ढांचे के विकास के अतिरिक्त MAGPY गांवों और वहां के लोगों को दूसरों के लिए आदर्श बनाने के लिए उनमें लोगों की भागीदारी, लिंग समानता, महिला गरिमा, सामाजिक न्याय, सामुदायिक सेवा, स्वच्छता, स्थानीय स्वराज्य, पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन जैसे मूल्यों को पैदा करने का लक्ष्य है।

ग्राम पंचायत विकास की मूल इकाई है, विधान सभा के सदस्य (विधायक) इस योजना के प्रमुख अंग हैं।

### ग्रामीण सड़कें:

राजस्थान राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, दो योजनाओं को लागू किया जा रहा है, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण गौरव पथ (GGP) और केन्द्र प्रायोजित प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY)।

### ग्रामीण गौरव पथ योजना (GGP)

ग्रामीण गौरव पथ परियोजना राजस्थान सरकार की एक प्रमुख सड़क निर्माण परियोजना है, राज्य की योजना के तहत 33 जिलों में लगभग 2,048 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण करने की योजना

है। यह परियोजना राजस्थान लोक निर्माण विभाग द्वारा लागू की जा रही है।

### गौरव पथ योजना की विशेषताएं:

- ग्रामीण गौरव पथ के तहत, गांव की सड़कों को मुख्य मेगा राजमार्गों से जोड़ा जाएगा।
- एक वर्ष में निविदाएं पूरी करने वाले ठेकेदारों द्वारा सीमेंट कंक्रीट सामग्री से सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा।
- गांव की सड़कों के अलावा, छोटे सीवर सिस्टम भी बनाये जायेंगे।
- राजस्थान के 33 जिलों के 9900 गांवों में से 2105 गांवों को कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

### प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) (केंद्रीय सरकार की योजना)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) को 25 दिसंबर 2000 को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हर दशा में सड़क की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वित्त पोषित केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक व्यक्तियों की आबादी वाली सभी बस्तियों, समतल क्षेत्रों, और 250 से अधिक जनसंख्या और पहाड़ी राज्यों, आदिवासी और रेगिस्तानी इलाकों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

राजस्थान के सभी 33 जिलों में 3000 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ ही 1100 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इनमें से 326.08 कि.मी. की 51 आवासों का निर्माण किया गया है। राजस्थान में इस योजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी राजस्थान ग्रामीण रोड डेवलपमेंट एजेंसी है।

### ग्रामीण क्षेत्रों में लागू अन्य महत्वपूर्ण केंद्रीय शासकीय योजनाएं:

#### स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत के प्रधान मंत्री ने 2 अक्टूबर, 2014 को देश को 2 अक्टूबर, 2014 तक खुले में शौच मुक्त (ODF) को बनाने का लक्ष्य रखा था। राजस्थान में, ODF की स्थिति हासिल करने का लक्ष्य मार्च 2018 तक निर्धारित किया गया है।

नोट - प्रिय उम्मीदवारों, यहाँ हमने केवल SAMPLE ही दिया है, पूरा टॉपिक नहीं दिया है / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए नीचे दिए गये हमारे संपर्क नंबर पर कॉल कीजिए या लिंक पर क्लिक करें / दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान 3<sup>rd</sup> Grade Level - 1 (REET मुख्य परीक्षा)” में पूर्ण संभव मदद करेंगे और आप “INFUSION NOTES” के साथ इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे, धन्यवाद /

**संपर्क करें - 9694804063, 9887809083, 8233195718, 8504091672**

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम -

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
REET (लेवल -1, 2)	2021	98 (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	01 दिसम्बर	65 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	13 सितम्बर	113 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)

<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	15 सितम्बर	126 (200 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	95 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसंबर (1st शिफ्ट)	56 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	21 नवम्बर 2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)

**& Many More Exams like REET, UPSC, SSC Etc.**

दोस्तों, इनका proof देखने के लिए नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें या हमारे youtube चैनल पर देखें -

**RAS PRE.** - [https://www.youtube.com/watch?v=p3\\_i-3qfDy8&t=136s](https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=136s)


**VDO PRE.** - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

**Patwari** - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=103s>

अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह प्रश्न आये हैं Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (Infusion Notes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

whatsapp- <https://wa.link/hx3rcz> 2website- <https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes>

संपर्क करें- 9887809083, 8233195718, 9694804063, 8504091672

<b>ONLINE ORDER के लिए OFFICIAL WEBSITE</b>	Website- <a href="https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes">https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes</a>
<b>PHONE NUMBER</b>	<a href="tel:+918504091672">+918504091672</a> <b>9887809083</b> <a href="tel:+918233195718">+918233195718</a> <a href="tel:+919694804063">9694804063</a>
<b>TELEGRAM CHANNEL</b>	<a href="https://t.me/infusion_notes">https://t.me/infusion_notes</a>
<b>FACEBOOK PAGE</b>	<a href="https://www.facebook.com/infusion.notes">https://www.facebook.com/infusion.notes</a>
<b>WHATSAPP करें</b> 	<a href="https://wa.link/hx3rcz">https://wa.link/hx3rcz</a>

## अध्याय - 7

### राजस्थान के प्रमुख उद्योग

#### राजस्थान में प्रमुख उद्योग

वर्तमान समय में चीन सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है।

- सूती कपड़ों के लिए इंग्लैंड का मैनचेस्टर (Manchester) शहर प्रसिद्ध है।
- शंघाई को चीन का मैनचेस्टर (Manchester) कहा जाता है।
- जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है।
- भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है।
- उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है।
- दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है।

#### राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग

- राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है।
- नवीन मेनचेस्टर के नाम से भिवाड़ी (अलवर) को जाना जाता है। कलकत्ता में भारत की प्रथम सूती मील 1818 में खोली गई।
- राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुसंगठित उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है।
- राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल 'दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड' की स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी व श्याम जी कृष्ण वर्मा ने ब्यावर में की।
- 'दी कृष्णा मील ब्यावर' कार्यशील हथकरघों की दृष्टि से सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है।
- राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र मील 'उम्मेद मिल्स' पाली में है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवम्बर 1956 को आया, इस समय राज्य में 7 सूती वस्त्र मिलें थी।
- वर्तमान में राज्य में 23 सूती वस्त्र मिलें स्थापित हैं। राज्य में सूती मिलों को तीन भागों में विभाजित किया गया है।

### सार्वजनिक क्षेत्र की सूती मिलें

- एडवर्ड मिल्स ( ब्यावर ) 1906
- श्री महालक्ष्मी मिल्स (ब्यावर) 1925
- श्री विजय कॉटन मिल्स (विजयनगर)

### सहकारी क्षेत्र की मिले

- राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा (भीलवाड़ा) ।
- श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लि. हनुमानगढ़
- गंगापुर सहकारी कताई मिल लि. गंगापुर ( भीलवाड़ा ) ।
- राजस्थान में निजी क्षेत्र में 17 मिलों की स्थापना की गई है । कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है

### राजस्थान की प्रमुख सूती वस्त्र मिले

1. एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर
2. महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड ब्यावर
3. मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा
4. महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लि. पाली
5. सार्दूल टेक्सटाइल मिल्स लि. श्रीगंगानगर
6. राजस्थान स्पिनिंग एण्ड जिनीविंग मिल्स भीलवाड़ा
7. आदित्य मिल्स किशनगढ़
8. उदयपुर कॉटन मिल्स उदयपुर
9. राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मण्डी
10. गंगापुर को ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल्स गंगापुर
11. श्री गोयल इंडस्ट्रीज कोटा
12. सुदर्शन टेक्सटाइल कोटा
13. बाँसवाड़ा सिन्थेटिक्स बासवाड़ा
14. विजय कॉटन मिल्स विजयनगर
15. बाँसवाड़ा फेब्रिक्स बाँसवाड़ा

### चीनी उद्योग

- राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मील चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर नामक नगर में ' मेवाड़ शूगर मील ' के नाम से सन् 1932 मे निजी क्षेत्र में खोली गई । चीनी बनाने का दूसरा कारखाना सन् 1937 में गंगानगर मे गंगानगर शूगर मिल्स के नाम से प्रारंभ किया गया ।
- 1956 से 'गंगानगर शूगर मिल्स' सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई है । चुकन्दर से चीनी बनाने के लिए

श्रीगंगानगर शूगर मिल्स लिमिटेड में एक योजना 1968 में आरंभ की गई थी ।

- श्री गंगानगर शूगर मील को वर्तमान में करणपुर के कमीनपुरा गाँव में स्थापित किया जाएगा । दी गंगानगर शूगर मिल्स शराब बनाने का कार्य भी करती है । अजमेर, अटर्स ( बांरा ) प्रतापगढ़ तथा जाँधपुर में भी इसके केन्द्र हैं । रॉयल हेरिटेज लिकर, कैसर कस्तुरी ब्राण्ड गंगानगर शूगर मील की उच्च गुणवत्ता वाली शराब है ।

### महत्वपूर्ण तथ्य

1965 में बूंदी जिले के केशोरायपाटन में चीनी मील सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई । 1976 में उदयपुर में चीनी मील निजी क्षेत्र में स्थापित की गई चीनी उद्योग के उत्पादन व दक्षता में वृद्धि करने के उद्देश्य से विद्यमान कानूनों में परिवर्तन का सुझाव देने के लिए V C. महाजन समिति का गठन किया गया ।

### सीमेंट उद्योग ( Rajasthan me Cement Udyog)

- सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान, भारत का एक अग्रणी राज्य है । राज्य में चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उद्योग के लिए सबसे अनुकूल जिला है । 1904 में सर्वप्रथम समुद्री सीपियों से सीमेंट बनाने का प्रयास मद्रास ( चेन्नई ) में किया गया था ।
- राज्य में सर्वप्रथम क्लीक निकसन् कम्पनी द्वारा 1915 में लाखेरी, बूंदी में सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया ।
- दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना ' जयपुर उद्योग लि . सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया है, जो वर्तमान में बंद है । J.K. सीमेंट निम्बाहेड़ा का कारखाना सर्वाधिक सीमेंट का कारखाना है । सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला श्रीराम सीमेंट, श्री रामनगर कोटा का कारखाना है ।
- सीमेंट की " श्री सीमेंट कम्पनी ' जो की 'ब्यावर में स्थित है । यह उत्तरी भारत की सबसे बड़ी कम्पनी है ।

### सफेद सीमेंट Rajasthan me White Cement

- सफेद सीमेंट का प्रथम उद्योग गोदण ( नागौर ) में स्थापित किया गया सफेद सीमेंट के दो कारखाने

- गोटन ( नागौर ) तथा एक कारखाना खारिया खंगार, जाँधपुर में स्थापित किया गया है ।
- मांगरोल ( चित्तौड़गढ़ ) में सफेद सीमेंट 'का चौथा कारखाना स्थापित किया गया है ।
  - खारिया खंगार ( जाँधपुर ) कारखाना राज्य में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना बीडला कम्पनी द्वारा स्थापित है । राज्य का सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है । पोर्टलैण्ड एवं पौजलाना ये दोनों सीमेंट की विशिष्ट किस्मे हैं । पोर्टलैण्ड सीमेंट का उत्पादन DLF कम्पनी द्वारा किया जाता है ।
  - राजस्थान में मिनी सीमेंट के कारखाने कोटपुतली, नीमकाथाना, हिंडौन सिटी, आबूरोड़ तथा बाँसवाड़ा में स्थापित किये गये हैं । ' मगलम सीमेंट संयंत्र ' मोडक (कोटा) में, 1982 में स्थापित किया गया ।
  - सवाई माधोपुर जिले में त्रिशूल छाप सीमेंट का निर्माण होता है । चित्तौड़गढ़ में चेतक छाप सीमेंट का निर्माण होता है ।

### काँच उद्योग

- राजस्थान सिलिका उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा के बाद देश में दूसरे स्थान पर है । काँच उद्योग हेतु सीसा, सोडियम, सल्फेट, बालु मिट्टी सिलिका कच्चे माल के रूप प्रयुक्त होते हैं । राजस्थान के धौलपुर जिले में काँच उद्योग सर्वाधिक फैला हुआ है ।
- ' दी हाई टेक्नीकल प्रोसीजन ग्लास वर्क्स ' धौलपुर में स्थित है । राज्य सरकार का यह उद्योग गंगानगर शहर मील के लिए बोतल निर्माण करता है । वर्तमान में यह बंद है । ' धौलपुर ग्लास वर्क्स ' धौलपुर में निजी क्षेत्र का उपक्रम है ।
- सैमकोर ग्लास इण्डस्ट्रीज ' कोटा में स्थित है । इस उद्योग में सैमसंग कम्पनी द्वारा पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है ।
- 'बॉश एण्ड लाम्ब लि.' कंपनी भिवाडी ( अलवर ) में स्थित है । इस फैक्ट्री में लेंस एवं चश्मो का निर्माण किया जाता है । सिरेमिक पार्क की स्थापना बीकानेर में की गई है ।

### ऊन उद्योग

- राजस्थान में भारत की लगभग 16.7 प्रतिशत भेंडे पाली जाती है । राजस्थान देश की लगभग 40 प्रतिशत ऊन उत्पादित करता है । ऊन उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है जबकि दूसरा स्थान कर्नाटक का है ।

- बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मण्डी स्थापित है । ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थित है । जाँधपुर में केन्द्रीय ऊन बोर्ड स्थापित किया गया है ।
- विदेशी ऊन आयात-निर्यात केन्द्र कोटा में स्थित है । भेड ऊन का प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थित है । ऊन प्रोसेसिंग हाऊस की स्थापना भीलवाड़ा में की गई है ।
- कम्प्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर जयपुर में खोला गया है । 'गलीचा प्रशिक्षण केन्द्र' बीकानेर में खोला गया है । ऊनी कपड़े के धागे के 3 कारखाने भीलवाड़ा में हैं ।
- "वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स" लाडनू में राजस्थान लघु उद्योग निगम का उपक्रम है ।

### राज्य में कुल ऊन उद्योग की बड़ी इकाईयां निम्नलिखित प्रकार से हैं

- स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर
- जाँधपुर वूलन मिल्स जाँधपुर
- वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू
- राजस्थान वूलन मिल्स बीकानेर

राज्य के शुष्क व अर्द्धशुष्क जिलों में ऊन का उत्पादन अधिक होता है ।

### वनस्पति घी उद्योग


- राज्य में सर्वप्रथम वनस्पति घी उद्योग की स्थापना सन् 1964 में भीलवाड़ा जिले में की गई ।
- राजस्थान में वनस्पति घी बनाने के 9 कारखाने हैं भीलवाड़ा जयपुर , टोंक , चित्तौड़गढ़ , उदयपुर व गंगानगर आदि ।
- महाराजा वनस्पति घी और आमेर वनस्पति घी अच्छी साख वाला घी है ।
- निवाई में केसरी वनस्पति और दुगाँपुरा में रोहिताश वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है ।
- विश्वकर्मा क्षेत्र ( जयपुर ) में स्थित वनस्पति तेल फैक्ट्री का नाम वीर बालक रख दिया गया है ।

### नमक उद्योग

- नमक उत्पादन की दृष्टि से राज्य का भारत में चौथा स्थान है ।
- राजस्थान में भारत का लगभग 12 प्रतिशत नमक तैयार होता है ।

## अध्याय - 8

### राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था (परिचय)



#### • राज्यपाल

- भारतीय संविधान के भाग-VI में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान पहले जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होता था लेकिन अब सभी राज्यों के लिए लागू होता है।
- राज्य में राज्यपाल का उसी प्रकार से स्थान है जिस प्रकार से देश में राष्ट्रपति का (कुछ मामलों को छोड़कर)।
- अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा इसमें एक अन्य प्रावधान जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख "राज्यपाल" होता है लेकिन अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपनी स्व-विवेक शक्तियों के अलावा सभी कार्य मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करता है अर्थात् राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है।

- अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अर्थात् राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति अधिपत्र (वारंट) जारी करते हैं जिसे मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है।
- राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 'कनाडा' से लिया गया है।

**संविधान लागू होने से लगाकर वर्तमान तक राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कुछ परंपराएं बन गईं जो निम्न हैं -**

- (i) संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए ताकि वह स्थानीय राजनीति से मुक्त रहे।
- (ii) राज्यपाल की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श ले ताकि समय दानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो

**राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में गठित प्रमुख आयोग व उनकी सिफारिश**

#### **सरकारिया आयोग**

गठन-1983 रिपोर्ट- 1987 अध्यक्ष- रणजीत सिंह सरकारिया

#### **सिफारिश -**

- राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध हो।

- राज्य के बाहर का निवासी होना चाहिए।
- राजनीतिक रूप से तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए।
- सक्रिय राजनीति में भागीदारी नहीं ले रहा हो राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए।
- 5 वर्ष की निश्चित पदावली हो।
- राज्यपाल को हटाए जाने से पूर्व एक बार चेतावनी देनी चाहिए अथवा पूर्व सूचना दी जानी चाहिए।

### द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग

वर्ष 2005 में वीरप्पा मोइली (कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में गठित। वर्ष 2010 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया।

### सिफारिश -

- इस आयोग के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में **कॉलेजियम व्यवस्था** होनी चाहिए। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होगा जबकि उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का नेता इसके सदस्य होंगे लेकिन सुझाव स्वीकार नहीं किया गया था।

### पूछी आयोग

गठन-2007 रिपोर्ट- 2010 अध्यक्ष- मदनमोहन पूछी

### सिफारिश -

- केंद्र राज्य संबंधों की जांच हेतु गठित पूछी आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानमंडल में महाभियोग की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया।
- राज्यपाल को किसी भी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति नहीं बनाना चाहिए।
- राज्य की विधानसभा में पारीत विधेयक पर राज्यपाल को 6 माह में निर्णय लेना चाहिए।

### राजमन्नार आयोग

गठन-1969 रिपोर्ट- 1971 अध्यक्ष- डॉ. वी.पी. राजमन्नार

**NOTE- सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग व पूछी आयोग का सम्बन्ध राज्यपाल की नियुक्ति और केंद्र-राज्य संबंधों से है।**

**अनुच्छेद 156** इस अनुच्छेद में राज्यपाल की पदावधि/ कार्यकाल का उल्लेख लिया गया है।

अर्थात् राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद पर बना रहेगा।

- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है तथा राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र देता है।

राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है।

राज्यपाल को दोबारा नियुक्त किया जा सकता है।

- राज्यपाल अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण नहीं कर ले।

- **राज्यपाल को हटाने के आधार का उल्लेख संविधान में नहीं है।**

### अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद योग्यताएँ/ अर्हताएँ

1. वह भारत का नागरिक हो।(जन्म से आवश्यक नहीं)
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. और वह राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने योग्य हो।

### अनुच्छेद 158 राज्यपाल पद की सेवा शर्तें व वेतन भत्ते

1. किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो।
  2. यदि संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल का पद धारण करने की तिथि से वह पद रिक्त मान लिया जाएगा।
- राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद (संविधान की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित) करती है।
  - राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से जबकि पेंशन भारत की संचित निधि में से दी जाती है।
  - राज्यपाल का वेतन ₹350000 है जो कर मुक्त होता है।
  - पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है।
  - यदि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल है (7वें संविधान संशोधन-1956 द्वारा) तो भी उसे वेतन। पद का होगा परंतु इसका वहन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में संबंधित राज्यों द्वारा किया जाएगा।

### अनुच्छेद 159 राज्यपाल पद की शपथ

- राज्यपाल या राज्यपाल पद के कार्यो का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को राज्यपाल पद की या राज्यपाल पद के कार्यो निर्वहन की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती

हैं राज्यपाल संविधान के परिरक्षण, संरक्षण व प्रतिरक्षण तथा राज्य की जनता के कल्याण के शपथ लेता है।

NOTE- राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची- 3 में नहीं मिलता है।

**अनुच्छेद 160** कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन

राज्यपाल पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य लरने की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी जैसे- राज्यपाल पद के खाली होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल पद का कार्यो का निर्वहन करना।

## राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां -

### 1. कार्यपालिका संबंधी कार्य -

- **अनुच्छेद 166** के तहत राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं अर्थात राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है।
- **अनुच्छेद 164** के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा उसकी सलाह से उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
- **राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे-** अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता, अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। (महत्वपूर्ण यह कि राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त जरूर करता है लेकिन उनको उनके पद से हटा नहीं सकता। लोकसेवा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर और कुछ निरहताओं के होने पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। (अनुच्छेद 317)
- **अनुच्छेद 217** के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- **अनुच्छेद 233** के तहत जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के

मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात करता है

- **अनुच्छेद 167** के तहत राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य की विधायी व प्रशासनिक सूचना मुख्यमंत्री से प्राप्त करें।
- अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के समय केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है।
- **अनुच्छेद 243 K-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 2A-** नगर निकायों के लिए राज्य चुनाव आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- **अनुच्छेद 243 I-पंचायतीराज व अनुच्छेद 243 Y-** नगर निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- राज्यपाल सभी राज्य पोषित सरकारी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उपकुलपतियों की नियुक्त करता है।
- राज्य सुचना आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सुचना आयोग व राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल 'राजस्थान रेडक्रास सोसायटी' व 'पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र- उदयपुर' का अध्यक्ष होता है
- लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

### 2. विधायी शक्तियां -

- **अनुच्छेद 168** के तहत राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधानपरिषद तीनों शामिल होते हैं अतः राज्यपाल विधान मंडल का अभिन्न अंग होता है।
- **अनुच्छेद 171** के तहत जिन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है वहाँ पर उच्च सदन (विधानपरिषद) में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और समाजसेवा क्षेत्र के सामान्य जानकार या विशेषज्ञ हो।
- **अनुच्छेद 174** के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विघटित कर सकता है।

## राजस्थान में राज्यपाल

संविधान स्वविवेक शक्ति	प्रदत्त	परिस्थितिवन्य स्वविवेक शक्ति
अनुच्छेद 163 के तहत कुछ मामलों में राज्य मंत्रीपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।		यदि विधानसभा चुनावों में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है तो राज्यपाल स्वविवेक से किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है।
अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है।		यदि कार्यकाल के दौरान किसी पदस्थ मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो अपने विवेक से अन्य को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है।
अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है।		मंत्रीपरिषद भंग करने के संबंध में (विशेष परिस्थितियों में)
अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री से सुचना लेने के संबंध में।		
राज्य विधानसभा को भंग करने में		

- राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे।
- राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण जी थे।
- 30 मार्च, 1949 - 31 अक्टूबर, 1956 तक राजस्थान में राजप्रमुख का पद था। इस पद पर जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह-11 को नियुक्त किया गया जो राजस्थान के पहले राज्यप्रमुख थे जिन्हें राज्यपाल के समकक्ष माना जाता है। 1 नवंबर, 1956 को संविधान संशोधन द्वारा राजस्थान में राज्यप्रमुख व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।
- राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल बनीं, दूसरी महिला राज्यपाल श्रीमती प्रभाराव तथा श्रीमती मार्गेट अल्वा राजस्थान की तीसरी महिला राज्यपाल थीं।
- राज्यपाल डॉ. सम्पूर्णानंद के कार्य काल में राज्य में पहली बार 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था।

- अब तक चार राज्यपाल की अपने पद पर रहकर मृत्यु हुई है -

  1. दरबारसिंह (वर्ष 1998)
  2. निर्मलचंद्र जैन (वर्ष 2003)
  3. शैलेंद्रकुमार (वर्ष 2009)
  4. प्रभाराव (वर्ष 2010)

NOTE - श्रीमती प्रभाराव राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थीं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई।

- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया- **मदन लाल खुराना**
- दूसरे राज्यपाल जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया- **प्रतिभा पाटिल**
- राजस्थान के ऐसे राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं- **बलिराम भगत**
- राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया- **रघुकुल तिलक**
- राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल- **गुरुमुख निहाल सिंह**
- राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल- **टी.वी. राजेश्वर**
- राजस्थान में अब तक 17 बार कार्यवाहक राज्यपाल बने जा चुके हैं।
- वर्तमान में कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं।
- राजस्थान के राज्यपाल का ग्रीष्मकालीन प्रवास माउंट आबू राजस्थान में स्थित राजभवन में होता है यह भवन 1868 में भारत के गवर्नर जनरल के ए. जी. जी. के रेजिडेंस के तौर पर बनाया गया था।

## राजस्थान के राज्यपालों की सूची -

क्र. सं.	राज्यपाल	कार्यकाल
1.	सवाई मानसिंह-11 (प्रथम राजप्रमुख)	30 मार्च, 1949 - 31 अक्टूबर, 1956
2.	सरदार गुरुमुख निहाल सिंह (प्रथम राज्यपाल)	1 नवंबर, 1956 - 15 अप्रैल, 1962
3.	डॉ. सम्पूर्णानंद	16 अप्रैल 1962 - 15 अप्रैल, 1967

4.	सरदार हुकुमासिंह	16 अप्रैल, 1967 - 19 नवम्बर, 1970	19.	श्री सुख देव प्रसाद	20 फरवरी, 1989 - 2 फरवरी, 1990
5.	जस्टिस जगतनारायण (कार्यवाहक)	20 नवम्बर, 1970 - 23 दिसम्बर, 1970	20.	श्री मिला पचंद जैन (कार्यवाहक)	3 फरवरी, 1990 - 13 फरवरी, 1990
6.	सरदार हुकुमासिंह	24 दिसम्बर, 1970 - 30 जून, 1972	21.	प्रो. देवीप्रसाद चटोपाध्याय	14 फरवरी, 1990 - 25 अगस्त, 1991
7.	सरदार जोगेन्द्र सिंह	1 जुलाई, 1972 - 14 फरवरी, 1977	22.	डॉ. स्वस्व सिंह (कार्यवाहक)	26 अगस्त, 1991 - 4 फरवरी, 1993
8.	जस्टिस वेदपाल त्यागी (कार्यवाहक)	15 फरवरी, 1977 - 11 मई, 1977	23.	डॉ. एम. चेन्नारेड्डी	5 फरवरी, 1992 - 30 मई, 1993
9.	श्री रघुकुल तिलक	12 मई, 1977 - 8 अगस्त, 1981	24.	श्री धानिक लाल मंडल (कार्यवाहक)	31 मई, 1993 - 29 जून, 1993
10.	जस्टिस के.डी. शर्मा (कार्यवाहक)	8 अगस्त, 1981 - 5 मार्च, 1982	25.	श्री बलि राम भगत	30 जून, 1993 - 30 अप्रैल, 1998
11.	एअरचीफमार्शल ओ.पी. मेहरा	6 मार्च, 1982 - 4 जनवरी, 1985	26.	सरदार दरबारा सिंह	1 मई, 1998 - 23 मई, 1998
12.	जस्टिसपी.के. बनर्जी (कार्यवाहक)	5 जनवरी, 1985 - 31 जनवरी, 1985	27.	श्री एन.एल. टिबेरवाल (कार्यवाहक)	24 मई, 1998 - 15 जनवरी, 1999
13.	एअरचीफ मार्शल ओ.पी. मेहरा	1 फरवरी, 1985 - 3 नवम्बर, 1985	28.	जस्टिस अंशुमान सिंह	16 जनवरी, 1999 - 13 मई, 2003
14.	जस्टिस डी.पी. गुप्ता (कार्यवाहक)	4 नवम्बर, 1985 - 19 नवम्बर, 1985	29.	श्री निर्मल चंद्र जैन	14 मई, 2003 - 13 जनवरी, 2004
15.	जस्टिस जगदीश शरण वर्मा (कार्य.)	20 नवम्बर, 1985 - 14 अक्टूबर, 1987	30.	श्री कैलाश पति मिश्रा (कार्यवाहक)	22 सितम्बर, 2003 - 13 जनवरी, 2004
16.	श्री वसन्तराव पाटिल	15 अक्टूबर, 1987 - 19 फरवरी, 1988			
17.	श्री सुखदेव प्रसाद	20 फरवरी, 1988 - 2 फरवरी, 1989			
18.	जस्टिस जगदीश शरण वर्मा (कार्य.)	3 फरवरी, 1989 - 19 फरवरी, 1989			

तूफान, ओलावृष्टि, पाला पड़ना, महामारी, टिड्डी दल का आक्रमण और फसलों का रोग लगने की स्थिति में पटवारी अपने अधीन आने वाले गाँवों में हुए नुकसान की जानकारी एवं सूचना हेतु तहसील कार्यालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

#### D. राजस्व अभियानों का संचालन करना

- राजस्थान में समय - समय पर राजस्व अभियानों का संचालन किया जाता है।
- राजस्व अभियानों के समय गाँवों के राजस्व संबंधी रिकार्डों या अभिलेखों को अप टू डेट किया जाता है।
- इन राजस्व अभियानों में ग्रामीणों की समस्याओं का निवारण करने का प्रयास किया जाता है।
- गाँवों में राजस्व अभियानों के सफल संचालन के लिए पटवारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

#### E. समग्र ग्रामीण विकास करना

- गाँवों के समग्र विकास में पटवारी और ग्राम सेवक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
- गाँवों के विकास हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, 20 सूत्री कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना आदि के संचालन में पटवारी की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

#### F. सरकार के विभिन्न कार्य करना

- पटवारी के द्वारा समय - समय पर सरकार के विभिन्न कार्य किए जाते हैं।
- पशु गणना करना, आर्थिक गणना करना, जनगणना करना और निर्वाचन संबंधी कार्यों को करने में सहायता करना पटवारी का मुख्य दायित्व होता है।

#### • पंचायती राज प्राचीनकाल में

- वैदिककाल में सभा, समिति, विदथ नामक राजनीतिक संस्थाएँ थीं जो स्थानीय पंचायत और केन्द्रीय सभा का कार्य करती थीं।
- अथर्ववेद में ग्रामणी शब्द का उल्लेख मिलता है जो ग्राम का प्रमुख होता था।
- बौद्धकाल में 'ग्राम' का मुखिया 'ग्रामयोजक' होता था।
- मौर्यकाल में ग्रामसभा का मुखिया 'ग्रामिक' कहलाता था।

- सर्वप्रथम ग्राम पंचायत व्यवस्था 'चोल साम्राज्य' में प्राप्त होता है। चोलकाल में पंचायत को 'ऊर' कहा जाता था।
- मुगलकाल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' थी जिसका मुखिया 'मुकद्दम' या 'चौधरी' कहलाता था तथा मुगलकाल में नगर का प्रमुख 'कोतवाल' कहलाता था।

#### ब्रिटिश भारत में

- ब्रिटिश भारत में स्थानीय शासन का आरम्भ वर्ष 1688 से मद्रास नगर निगम की से माना जाता है।
- राजस्थान में प्रथम नगरपालिका वर्ष 1864 में 'माउण्ट आबू' में स्थापित की गई।
- भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक 'लॉर्ड रिपन' को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जिला बोर्ड ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत का गठन किया एवं स्थानीय निकायों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया। लॉर्ड रिपन के इसी प्रस्ताव को 'स्थानीय शासन' का मॅग्नैकार्टा कहा जाता है।
- वर्ष 1919 में मान्टेग्यू चेम्स फोर्ड अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तान्तरित विषयों में शामिल किया गया तथा वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को प्रान्तीय / राज्य सूची में रखा गया।
- राजस्थान में बीकानेर प्रथम रियासत थी जिसने वर्ष 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया।
- महात्मा गाँधी ने 'ग्राम स्वराज्य' की कल्पना अपनी पुस्तक 'माई पिक्चर ऑफ फ्री इण्डिया' में की।
- पंचायतीराज राज्य सूची का विषय है।

#### पंचायती राज

- पंचायतीराज भारतीय संविधान के भाग -4 ( नीति - निर्देशक तत्व ) के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत ( पंचायतीराज ) की व्यवस्था की गई है।
- प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1952 को 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' चलाया गया फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से लेकिन सरकारी मशीनरी ( नौकरशाहों ) के अत्यधिक हस्तक्षेप व जनसहभागिता की कमी के कारण यह कार्यक्रम असफल रहा। 2 अक्टूबर, 1953 को 'राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम' चलाया गया। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य - ग्रामीण विकास था लेकिन यह कार्यक्रम असफल रहे।

- पंचायती राज और नगरपालिका प्रणाली को संवैधानिक अस्तित्व प्राप्त करने में एक लम्बा संघर्ष करना पड़ा।
- वर्ष 1957 में ' सामुदायिक विकास कार्यक्रम ' व ' राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम ' की असफलता की जाँच हेतु गठित समिति **बलवन्त राय मेहता समिति** ने सर्वप्रथम पंचायती राज को स्थापित करने की सिफारिश की जिसे स्वीकार कर लिया गया साथ ही सभी राज्यों को इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया।
- सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर (बगदरी गाँव) जिले में 2 अक्टूबर, 1959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी और उसी दिन इसे सम्पूर्ण राज्य (राजस्थान) में लागू कर दिया गया।
- किन्तु वाँछित सफलता प्राप्ति में कमी ने इस पर गम्भीरता से विचार करने के लिए मजबूर किया। अनेक समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने अपनी सिफारिशों से पंचायती राज को मजबूती प्रदान की।

क्र.सं.	वर्ष	समिति का नाम	प्रमुख सिफारिशें
1.	1957	बलवन्त राय मेहता	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश की ।</li> <li>• पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए । i. <b>जिला स्तर पर - जिला परिषद</b></li> <li>ii. <b>ब्लॉक ( खण्ड ) स्तर पर - पंचायत समिति</b></li> <li>iii. <b>ग्राम स्तर पर ( सबसे निचला स्तर ) - ग्राम पंचायत</b></li> <li>• जिला परिषद का अध्यक्ष , जिला कलेक्टर को बनाये जाने की सिफारिश की ।</li> <li>• इन्होंने मध्य / खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की ।</li> </ul>
2.	1977	अशोक मेहता	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पंचायतीराज का ढाँचा द्विस्तरीय होना चाहिए ।</li> <li>i. <b>जिला स्तर जिला परिषद</b></li> <li>ii. <b>मण्डल स्तर पर पंचायत समिति</b></li> <li>• इस समिति ने ग्राम पंचायत ( निम्न स्तर ) को समाप्त करने की सिफारिश की ।</li> <li>• इस समिति ने जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की ।</li> <li>• अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की सिफारिश की ।</li> <li>• दलगत प्रणाली के आधार पर पंचायतीराज के चुनाव कराने की सिफारिश की ।</li> <li>• पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष करने की सिफारिश ।</li> <li>• पंचायतीराज संस्थाओं के मामलों की देखरेख हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश की ।</li> <li>• न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की ।</li> </ul>
3.	1985	जी.वी.के. राव समिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पंचायतीराज का ढाँचा चार स्तरीय होना चाहिए :- i. <b>राज्य स्तर पर - राज्य परिषद</b></li> <li>ii. <b>जिला स्तर पर - जिला परिषद</b></li> <li>iii. <b>खण्ड स्तर पर- पंचायत समिति</b></li> <li>iv. <b>ग्राम स्तर पर - ग्राम पंचायत</b></li> <li>• इस समिति ने खण्ड स्तर को सर्वाधिक शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की ।</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• जिला स्तर पर जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन करने की सिफारिश की।</li> <li>• इस समिति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की।</li> <li>• पंचायतीराज संस्थाओं के नियमित चुनाव कराये जाने की सिफारिश की।</li> <li>• पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष करने की सिफारिश की।</li> <li>• इस समिति ने पंचायतीराज संस्थाओं को ' बिना जड़ की घास ' कहा। इस समिति को ' कार्ड समिति ' के नाम से भी जाना जाता है।</li> </ul>
4.	1986	एल.एम. सिंघवी	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए।</li> <li>• पंचायतीराज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की</li> <li>• न्याय पंचायतों के गठन का सुझाव दिया।</li> <li>• ग्राम सभा को महत्व देने की सिफारिश की तथा</li> <li>• ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति कहा।</li> <li>• राज्य वित्त आयोग की स्थापना की सिफारिश</li> </ul>
5.	1988	पी.के. थुंगन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पंचायतीराज का ढाँचा त्रिस्तरीय होना चाहिए।</li> <li>• पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश।</li> <li>• पंचायतीराज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए।</li> <li>• जिला परिषद को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश की।</li> <li>• इस समिति ने पंचायतीराज को संघ सूची का विषय बनाने की सिफारिश की।</li> </ul>
6.	1963	के. संधानम	
7.	1966	जी. रामचन्द्रन	
8.	1976	दया चौबे	
9.	1978	दांतेवाला	
10.	1984	हनुमंतराव	
11.	1988	वी.एन. गॉडगिल	

### पंचायती राज व्यवस्था से सम्बंधित राजस्थान में गठित समितियाँ

क्र.सं.	समिति का नाम	वर्ष	सिफारिशें
1.	सादिक अली	1964	<ul style="list-style-type: none"> <li>• इस समिति ने प्रधान व जिला प्रमुख का चुनाव, वृहत्तर निर्वाचक मण्डल से करवाने का सुझाव दिया जिसमें ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य सम्मिलित हो।</li> </ul>

- ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करता है , सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच करता है । सरपंच व उपसरपंच दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों में से कोई एक करता है ।
- ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाहियों का ब्यौरा ग्राम विकास अधिकारी ( VDO ) एक रजिस्टर में लिखेगा तथा सरपंच उस पर हस्ताक्षर करेगा ।
- संयुक्त बैठक - जब एक ही ग्राम पंचायत के दो गाँवों के मध्य सीमा विवाद , चारागाह को लेकर विवाद होते हैं तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ।
- ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान राजस्थान पंचायतीराज नियम 2011 में किया गया है ।
- एक व्यक्ति एक से अधिक ग्राम पंचायतों की सूची में पंजीकृत नहीं हो सकता । ग्राम सभा की सदस्यता से संबंधित उत्पन्न विवाद का निर्णय सरपंच करता है ।
- व्यक्ति आजीवन ग्राम सभा का सदस्य रहता है । ग्राम सभा , राज्यसभा की तरह एक स्थायी संस्था है जिसे भंग नहीं किया जा सकता है ।

### पंचायतों का गठन और संरचना

- **अनुच्छेद 243 (b)** भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिलास्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है, किन्तु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है।
- भारत में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है, जहाँ चार स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। वहाँ पंचायतों के चार

स्तर यथा ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद् और जिला परिषद् हैं।

- **अनुच्छेद 243 (c)** में पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य विधानमण्डल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के सम्बन्ध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- परन्तु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या और ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या में अनुपात समस्त राज्य में यथा संभव एक ही होगा।
- पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे।
- ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार होगा तथा मध्यवर्ती व जिला पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा।

सरपंच	उपसरपंच	वार्डपंच
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ग्राम पंचायत का अध्यक्ष</li> <li>• प्रत्यक्ष चुनाव ( व्यस्क मतदाताओं द्वारा )</li> <li>• शपथ- निर्वाचन अधिकारी</li> <li>• त्यागपत्र- विकास अधिकारी</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• उपाध्यक्ष</li> <li>• अप्रत्यक्ष चुनाव ( वार्ड पंचो द्वारा)</li> <li>• शपथ - निर्वाचन अधिकारी</li> <li>• त्यागपत्र - विकास अधिकारी</li> <li>• अविश्वास प्रस्ताव- सरपंच के समान प्रक्रिया द्वारा उपसरपंच को हटाया जा सकता है ।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ग्राम पंचायत का सदस्य</li> <li>• प्रत्यक्ष चुनाव ( व्यस्क मतदाता द्वारा )</li> <li>• शपथ- निर्वाचन अधिकारी</li> <li>• त्यागपत्र - विकास अधिकारी</li> <li>• अविश्वास प्रस्ताव- नहीं लाया जा सकता है ।</li> </ul>
<p><b>अविश्वास प्रस्ताव-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• प्रारम्भिक वर्ष तथा अंतिम । वर्ष में नहीं लाया जा सकता है ।</li> </ul>		

नोट - प्रिय उम्मीदवारों, यहाँ हमने केवल SAMPLE ही दिया है, पूरा टॉपिक नहीं दिया है / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए नीचे दिए गये हमारे संपर्क नंबर पर कॉल कीजिए या लिंक पर क्लिक करें / दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान 3<sup>rd</sup> Grade Level - 1 (REET मुख्य परीक्षा)” में पूर्ण संभव मदद करेंगे और आप “INFUSION NOTES” के साथ इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे, धन्यवाद /

**संपर्क करें - 9694804063, 9887809083, 8233195718, 8504091672**

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम -

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
REET (लेवल -1, 2)	2021	98 (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	01 दिसम्बर	65 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	13 सितम्बर	113 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)

<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	15 सितम्बर	126 (200 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	95 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसंबर (1st शिफ्ट)	56 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	21 नवम्बर 2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)

**& Many More Exams like REET, UPSC, SSC Etc.**

दोस्तों, इनका proof देखने के लिए नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें या हमारे youtube चैनल पर देखें -

**RAS PRE.** - [https://www.youtube.com/watch?v=p3\\_i-3qfDy8&t=136s](https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=136s)


**VDO PRE.** - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

**Patwari** - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=103s>

अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह प्रश्न आये हैं Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (Infusion Notes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

whatsapp- <https://wa.link/hx3rcz> 2website- <https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes>

संपर्क करें- 9887809083, 8233195718, 9694804063, 8504091672

<b>ONLINE ORDER के लिए OFFICIAL WEBSITE</b>	Website- <a href="https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes">https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes</a>
<b>PHONE NUMBER</b>	<a href="tel:+918504091672">+918504091672</a> <b>9887809083</b> <a href="tel:+918233195718">+918233195718</a> <a href="tel:+919694804063">9694804063</a>
<b>TELEGRAM CHANNEL</b>	<a href="https://t.me/infusion_notes">https://t.me/infusion_notes</a>
<b>FACEBOOK PAGE</b>	<a href="https://www.facebook.com/infusion.notes">https://www.facebook.com/infusion.notes</a>
<b>WHATSAPP करें</b> 	<a href="https://wa.link/hx3rcz">https://wa.link/hx3rcz</a>

## शैक्षिक परिदृश्य

### अध्याय - 1

#### शिक्षण अधिगम के नवाचार

परिचय- शैक्षिक नवाचार शिक्षा की विकासोन्मुख रहने वाली प्रक्रिया को प्रदर्शित करने वाली एक नवीन अवधारणा है। नवाचार शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक विकास के युग में शैक्षिक तकनीकी के नवीन प्रावधानों के कारण शैक्षिक नवाचार का महत्त्व और बढ़ गया है। अन्तर्राष्ट्रीयता, वैश्वीकरण और जनसंचार के आधुनिक संसाधनों ने इसे आज के युग की एक आवश्यकता के रूप में स्थापित कर दिया है।"

शैक्षिक नवाचार पर विचार करने से पहले 'नवाचार' शब्द का अर्थ जान लेना आवश्यक है। नवाचार दो शब्दों नव + आचार से मिल कर बना है। नव का अर्थ है नवीन या नया और आचार का अर्थ होता है व्यवहार अथवा रहन-सहन। आचार को चलन अथवा प्रचलन भी कहा जा सकता है। इस आधार पर शैक्षिक नवाचार को शिक्षा के नवीन प्रचलित व्यवहारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा के उक्त प्रचलित व्यवहारों के अन्तर्गत उन सभी नवीन अवधारणाओं, विचारों, विधियों, सिद्धान्तों, प्रयोगों और सूचनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है जो शिक्षाविदों के आधुनिकतम चिंतन के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार नवाचार शैक्षिक तकनीकी के रूप में शिक्षा दर्शन, मनोविज्ञान और विज्ञान आदि शिक्षा के समस्त पहलुओं को प्रभावित करता है।

शैक्षिक नवाचार का कार्य मानवीय तथा गैर-मानवीय संसाधनों का शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये यथासम्भव कम से कम (धन व श्रम को व्यय करके अधिक से अधिक उपलब्धि प्राप्त करना है। अतः प्रबंध का कार्य भी एक शैक्षिक कार्य ही कहा जाएगा। जब वह पूरे विद्यालय की शिक्षा की व्यवस्था करता है, तो शैक्षिक नवाचारों को विद्यालय में प्रविष्ट कराने का भी उसका कुछ न कुछ दायित्व अवश्य बनता है। यहाँ पर प्रबंध का कुछ न कुछ दायित्व इसलिये कहा है कि शैक्षिक नवाचारों का सैद्धान्तिक

पक्ष शिक्षकों एवं शिक्षाविदों के कार्यक्षेत्र में आता है, किन्तु उन्हें विद्यालय में लागू करने और प्रचलित करने में प्रबंध का पर्याप्त योगदान रहता है।

किसी शैक्षिक नवाचार को विद्यालय में लागू करना है, या नहीं, यदि करना है तो किस सीमा तक लागू करना है और किस प्रकार लागू करना है, आदि बातों से सम्बन्धित अनेक प्रश्नों का उत्तर खोजने में प्रबन्धकों की विशेष भूमिका रहती है। यह सत्य है कि इस कार्य का उत्तरदायित्व बहुत कुछ प्रधानाचार्य और शिक्षकों पर ही होता है, किन्तु यदि इसमें प्रबन्ध-तंत्र का सहयोग और समर्थन उनके साथ हो तो शैक्षिक उन्नयन की दृष्टि से बहुत उत्तम होता है। कभी-कभी कुछ राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयाँ ऐसी आ जाती हैं, जिनके कारण प्रबन्ध इन्हें विद्यालय में प्रचलित करने में रुचि नहीं लेते अथवा संकोच करते हैं, जिससे शिक्षकों के सामने भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रबन्धकों, प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों को मिल कर कोई समुचित हल निकालना चाहिये। जहाँ तक सम्भव हो, ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए, जिनसे विद्यालयों को शैक्षिक नवाचारों से वंचित न रहना पड़े।

शैक्षिक नवाचारों को सामान्यतया क्षेत्र की सीमा में बांधना एक दुष्कर कार्य है। जिस प्रकार शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, उसी प्रकार शैक्षिक नवाचार भी गिनाये नहीं जा सकते। कभी-कभी कोई नवीन चिंतन अथवा विचार किसी भी प्रकार के शैक्षिक नवाचार को जन्म दे सकता है। किन्तु प्रबन्ध के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि उसे यह देखना आवश्यक होता है कि -कोई नवाचार उसके विद्यालय के लिये उपयोगी हो सकता है अथवा नहीं, इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण दिया जा सकता है।

शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र में अनेक अनुसंधान होते रहते हैं। यदि ऐसा कोई अनुसंधान उच्च शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित हो, तो प्रबन्धक उसे अपने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित नहीं कर सकता। इसी प्रकार भारत सरकार की नयी शिक्षा नीति-1986 में 10+2+3 शिक्षा शैक्षिक नवाचार संरचना, अल्पसंख्यकोपिछड़े व वंचितों की शिक्षा, सतत शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, ग्रामीण विद्यालयों के

विश्वविद्यालयों में सुधार कार्य अथवा परिवर्तन विद्यालयी पद्धति के बाहर के दबावों पर निर्भर करता है। इस हेतु इसे नहीं अपनाया जा रहा है। कुछ विद्वानों की तो यहाँ तक धारणा उजागर हुई है कि भारत में शैक्षिक परिवर्तन निहित स्वार्थों के कारण होता है न कि सुनियोजित योजना के आधार पर। इस हेतु इन सभी आलोचनाओं तथा कारणों पर विचार करते हुए यह सोचना आवश्यक है कि नवाचारों को विद्यालय में प्रचलित करने के लिए सुसंगठित प्रयास किस रूप में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय विषय है कि यदि नवाचार को अपना लिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा?

### (1) सामाजिक अन्तक्रियात्मक नवाचार (Social Interaction Innovation)

नवाचार को उसके गुणों एवं विशिष्टताओं के आधार पर चयन करके विद्यालय में उसी अवस्था में स्वीकार किया जा सकता है जब उसके विषय में जानकारी विद्यालय के प्रतिपालक शिक्षक द्वारा प्राप्त हो। इसलिए कोई भी नवाचार विभिन्न लोगों, संस्थाओं एवं अभिकरणों के परस्पर सामाजिक अन्तः क्रिया द्वारा प्रसारित होता है। इसीलिए इस प्रकार के नवाचार को सामाजिक अन्तः क्रियात्मक नवाचार कहा गया है।

**नवाचार में बाधाएँ (Obstacles in Innovation)**- परिवर्तन युक्त वे सब साधन एवं माध्यम जिन्होंने व्यक्तियों के व्यवहार में नवीनता युक्त तथ्यों, मान्यताओं, विचारों का बीजारोपण करके नवीन प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख किया, वे नवाचार कहलाते हैं।

- 1. अपर्याप्त धन (Insufficient money)**- एक नवाचार को प्रारम्भ करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धन के अभाव में नवाचार के कार्यक्रमों का संचालन नहीं किया जा सकता है। कई उत्कृष्ट नवाचारों की आवश्यकता है परन्तु धन की कमी के कारण प्रयोग नहीं किये जा पा रहे हैं।
- 2. समाज का भय (Fear of Society)**- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे समाज के मूल्यों, आदर्शों, परम्पराओं का

सम्मान करना पड़ता है। वह इनके विरुद्ध नहीं जा सकता है। इन्हीं सामाजिक परम्पराओं के कारण वह कुछ नया सोचने में डरता है। जिससे नवाचार के विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

- 3. असफलता का भय (Fear of Failure)**- मनुष्य अपना प्रत्येक कार्य किसी सफलता की आशा से करता है। यदि उसे आशा होती है कि किसी नवीन विचार के माध्यम से उसे भविष्य में सफलता प्राप्त होगी तो वह उस विचार को अपने मस्तिष्क में लाता है परन्तु यदि किसी नवीन विचार या कार्य के माध्यम से भविष्य में असफलता का भय होता है तो उस नवीन विचार से वह विरत हो जाता है। यह असफलता का भय नवाचार के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- 4. आत्मविश्वास का अभाव (Lack of Self Confidence)**- प्रायः मनुष्य में इतनी योग्यता या क्षमता नहीं होती है कि वह कोई नवीन विचार अपने मस्तिष्क में ला सके। अपनी इस आत्मविश्वास की कमी के कारण भी वह नवाचारों का प्रयोग करने में असमर्थ रहता है।
- 5. उचित संगठन का अभाव (Lack of Proper Organization)**- किसी भी नवाचार का विकास करने के लिए उचित संगठन की आवश्यकता होती है। उचित संगठन के अभाव में नवाचार के मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- 6. समय का अभाव (Lack of Time)**- किसी भी नवाचार को व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करने के लिये पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। जब तक किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त समय नहीं होगा तब तक कोई नवीन विचार उसके मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं होगा। नवीन विचार के उत्पन्न न होने से वह नवीन कार्यों को करने में असमर्थ होगा। अतः नवाचार के मार्ग में सबसे बड़ी कठिनाई समय का अभाव होना है।
- 7. व्यक्तित्व सम्बन्धी बाधाएँ (Problems Related to Personality)**- व्यक्तित्व मन और शरीर का गत्यात्मक संगठन होता है। इसमें व्यक्ति की आदतें, मनोवृत्तियों रुचि, नैतिकता क्षमता इत्यादि निहित होती हैं। इसी के आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण एवं निहित होती हैं। नवाचारों से

बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया। इसमें कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई गई है।

### 16. गार्गी पुरस्कार योजना :-

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा सन 1998 में आयोजित सैकण्डरी परीक्षा में 75% अंक या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और कक्षा ग्यारहवीं व बारहवीं में नियमित रूप से पढाई करने वाली छात्राओं को ₹3000 और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा।

यह समारोह प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को आयोजित किया जाता है। गार्गी पुरस्कार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बीकानेर के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

### 17. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना :-

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2008 से 2009 में प्रारम्भ की गई। इस योजना के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सैकण्डरी कला, वाणिज्य, विज्ञान वर्ग परीक्षा में राजकीय विद्यालयों में पढने वाले नियमित बालिकाओं के 75% या उससे अधिक अंक लाने पर 5000 रुपये और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा।

### 18. मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण योजना :-

लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्गत कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा और कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में कम से कम 75% अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त होने पर राज्य स्तर पर 6000 स्थानों पर आने वाले मेधावी छात्रों को एवं जिला स्तर में कम से कम 70% अंक प्राप्त करने वाले और प्रथम 100 स्थानों पर आने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण कराना लैपटॉप वितरण योजना का मुख्य उद्देश्य है।

## अध्याय - 3

### विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ

#### विद्यालय प्रबंधन का अर्थ (स्कूल मैनेजमेंट क्या है?)

विद्यालय प्रबंधन का क्या अर्थ है? तब हम कह सकते हैं की "विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिये योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा उसके लिए सामूहिक रूप से सतत् प्रयास करना।"

#### विद्यालय प्रबंधन की परिभाषा

1. लूथर गुलिक के अनुसार "विद्यालय प्रबंधन सत्ता का

औपचारिक ढाँचा है जिसके अंतर्गत निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विभागीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से विभाजन करना, परिभाषित करना तथा समन्वित करना सम्मिलित होता है।"

2. हेरोल्ड कीजन के अनुसार "विद्यालय प्रबंधन मानवीय एवं भौतिक साधनों से प्राप्ति के लिये समन्वय करना है।"

हेरोल्ड कीजन के अनुसार "विद्यालय प्रबंधन माननीय एवं भौतिक साधनों से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये समन्वय करना है।"

#### विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता

निर्धारित किये गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये समुचित विद्यालय प्रबंधन की अति आवश्यकता है। अगर प्रबंधन शिक्षण। अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण बनाना चाहता है तो वह मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करे क्योंकि राष्ट्रीय विकास का आधार विद्यालय है। विद्यालय समाज का लघुरूप है। यही वह स्थान है जहाँ पर छात्रों के मानसिक विकास के साथ-साथ शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास का होना भी आवश्यक है।

## विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य

- 1 विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य विद्यालय के क्रिया कलापो को मॉनीटर करना
- 2 शिक्षा के आदर्शों एवं उद्देश्यों की जानकारी देना
- 3 विद्यालय के विकास के लिये योजनाओं का निर्माण करना
- 4 विद्यालय को चलने के लिए कुशल प्रशासन की व्यवस्था करना
- 5 विद्यालय में उपयोगी एवं व्यावहारिक फर्नीचर की व्यवस्था करना
- 6 शिक्षण कार्यों के लिए आवश्यक उपकरण जैसे- ब्लैक बोर्ड, चाक, श्रव्य- द्रश्य साधनों की व्यवस्था करना
- 7 विद्यालय में एक परिचालन कोष बनाना जिससे राज्यकीय सहायता से बेतन तथा अन्य आवश्यक व्यय को वहन किया जा सके
- 8 दानदाताओं से आर्थिक सहायता प्राप्त करना
- 9 विद्यालय को हर प्रकार की आलोचनाओं से सुरक्षित रखना
- 10 विद्यालय और समुदाय में स्वस्थ संबंध स्थापित करना
- 11 विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था करना
- 12 विद्यालय की वित्तीय- प्रबंधन को नियमानुसार चलाना
- 13 विद्यालय में होने वाले आय और व्यय का दैनिक हिसाब रखना
- 14 विद्यालय के मुख्याध्यापक के कार्यकाल के लिये आवश्यक उपकरणों का प्रबंधन करना

## विद्यालय प्रबंधन के लक्षण

विद्यालय प्रबंधन के निम्नलिखित लक्षण हैं

### 1 व्यवहारिकता

प्रशासन संबंधी सभी कार्य व्यावहारिक होने चाहिये तथा विद्यालय के उद्देश्य, नीतियाँ, कार्य, नियम आदि सभी मानवीय तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप होने चाहिये न की सैद्धान्तिक जिससे वे समाज के लिये वे उपयोगी हो सके।

## 2 विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप

विद्यालय प्रबंधन का स्वरूप सदैव गतिशील होना चाहिये क्योंकि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आधार पर विद्यालय प्रबंधन के स्वरूप की संरचना की जाती है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जैसे तत्वों में परिवर्तन होने पर प्रशासन में परिवर्तन होता रहा है।

## 3 विद्यालय प्रबंधन की प्रगति

विद्यालय प्रबंधन की प्रगति हमेशा गतिशील तथा नियंत्रित होती है क्योंकि विद्यालय प्रबंधन के अन्तर्गत कार्य की प्रकृति यांत्रिक तथा स्वचालित न होकर कार्यशील एवं नियंत्रित होती है।

## 4 विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया

विद्यालय प्रबंधन एक मानवीय प्रक्रिया है। जो सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक आदि परिस्थितियों में प्रभावित होती है तथा विद्यालय प्रबंधन की रचना उसके मानवीय तत्वों के द्वारा होती है जिसमें मौलिक तत्वों को उन्ही के अनुरूप लिया जाता है।

## 5 निति तथा कार्यक्रम निर्धारण

निति तथा कार्यक्रम निर्धारण करने में विद्यालय प्रबंधन के द्वारा शैक्षिक नीतियों तथा कार्यक्रम में सभी व्यक्तियों का सहयोग किया जाना चाहिये जिससे प्रशासन में जनतन्त्रिय कार्य व्यवस्था विकसित होती है।

## विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएँ

1. विद्यालय प्रबंधन विद्यालय की एक शाखा के रूप में विकसित हो रहा है
2. विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत तथा व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है
3. प्रबंधन व कार्य से जुड़े हुए सभी लोगों में सहयोग की भावना होनी चाहिए
4. सामहिक हितों पर बल देना
5. अच्छे प्रबंधन से मानवीय संसाधन, शैक्षिक सुविधाएँ जुटाने एवं वातावरण के निर्माण में सहयोग मिलना

## निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम

### अध्याय - 1

#### निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 प्रावधान एवं क्रियान्वित

#### RTE - Right to Education - 2009

- आजादी से पूर्व भारत में 1835 में लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कि नींव रखी। तथा निस्संदेह सिद्धांत दिया जिसका उद्देश्य था - " भारत में वो बाबू तैयार करना जो सूरत से भारतीय तथा अक्ल से अंग्रेज हो"
- 1854 में वुड डिस्पैच जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा (महाधिकार पत्र) कहा जाता है। डिस्पैच का अर्थ है - "सरकारी पत्र"
- नोट :- वुड डिस्पैच को आधुनिक शिक्षा का मैग्नाकार्टा (जनक) कहा जाता है।
- 1937 महात्मा गाँधी ने वर्धा योजना के दौरान नई तालीन ( शिक्षा ) या आधारभूत शिक्षा या बेसिक शिक्षा के द्वारा 14 वर्षों तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही। जिसमें सभी विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन से संबंधित जीविकोपार्जन की शिक्षा प्रदान की जाये।
- नोट :- भारत में 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने निः शुल्क शिक्षा प्रदान की मांग उठाई थी।
- आर. टी. ई. का इतिहास :-
- 1947 में आजादी के बाद भारतीय संविधान के अनु. 45 में यह व्यवस्था की गई है कि - " 6 -14 वर्ष तक के बच्चों को आजादी के 10 वर्ष बाद अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था कर दी जायेगी"
- देश में शिक्षा में मूल अधिकार बनाने की बात 1997 के बाद अधिक जोर पकड़ने लगी जब.....ने इसे विद्यार्थी का मौलिक अधिकार

घोषित कर दिया। जिसका परिणाम 1 दिसम्बर 2002 को 86 वें संविधान संशोधन के अनु० 21 ए भाग 3 में इसे मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है।

नोट :- अनु. 45 में 0-6 वर्ष (बचपन की देखभाल) शेष रहा है। परन्तु अब समस्या यह थी कि इस सम्पूर्ण देश में लागू कैसे किया जाये। इसके लिये आर.टी.ई. का उदय हुआ।

आर.टी.ई. कि कानूनी प्रक्रिया :-

20 जुलाई 2009 राज्यसभा में पारित

4 अगस्त 2009 लोकसभा में पारित

1 अप्रैल 2010 पूरे देश में लागू

नोट :- आर.टी.ई. जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं है।

#### आर.टी.ई. की संरचना :-

अध्याय-(1) प्रस्तावना ।

अध्याय-(2) निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम।

अध्याय-(3) समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी माता - पिता के कर्तव्य

अध्याय-(4) विद्यालय एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व

अध्याय-(5) प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना। और उसे पूर्ण करना।

अध्याय-(6) बाल संरक्षण अधिनियम(2005) / बाल अधिकारी संरक्षण अधिनियम (2005)।

अध्याय-(7) प्रकीर्ण (विशेषाधिकारों को शामिल किया गया।

नोट :- आर.टी. ई. एक्ट का सबसे बड़ा अध्याय- अध्याय (4) है।

बाल संरक्षण अधिनियम (2005) - बालक के अधिकारों की सुरक्षा करता है।

#### आर. टी. ई. कि धाराएं :-

धारा (3) - देशभर में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा।

धारा (4) - आयु के अनुसार कक्षा कक्षा में स्थान देना।

धारा (5) - बालक को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरण का अधिकार होगा।

धारा (6) - कक्षा 1 से 5वीं 1 किमी. के दायरे में व 6 से 8वीं तक 2 किमी. के दायरेमें विद्यालय की व्यवस्था रहेगी।

धारा (7) - अधिनियम की वित्तीय स्थिति का उल्लेख।

धारा (10) - माता - पिता के दायित्व व कर्तव्य।

धारा (12) - निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब, दुर्बल व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगी।

धारा (13) - यह उल्लेखित करती है कि विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की डोनेशन व कॅपिटेशन फीस (शुल्क) नहीं लिया जायेगा। तथा माता - पिता का किसी प्रकार साक्षात्कार नहीं होगा।

धारा (14) - आवश्यक प्रमाण - पत्र से मुक्ति।

धारा (15) - यह बच्चे की Admission date को तय करती है। इसके अनुसार बच्चों के प्रवेश की तिथि 30 सितम्बर है। लेकिन इसके आने पर भी बच्चे को प्रवेश से नहीं रोका जायेगा।

धारा (16) - विद्यार्थी को विद्यालय से निष्कासित व रोका (अवरोधन) नहीं जायेगा। जब तक वह प्राथमिक शिक्षा पूरी ना कर लें।

धारा (17) - विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जायेगा।

धारा (19) - के अनुसार किसी भी स्कूल को उचित मापदंड पूरा न करने की स्थिति में पहले (आर्थिक) दण्ड तथा इसके पश्चात मान्यता रद्द करने का प्रावधान है।

धारा (21) - प्रत्येक स्कूल में एस. एम. सी. (स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी) का गठन किया जायेगा। जिसका कार्य स्कूल के क्रिया कलापों एवं विकास की देखरेख करना है, जिसमें 15 सदस्य हों।

धारा (23) - अध्यापक की योग्यता का वर्णन।

धारा (24) (1) - यह शिक्षकों के दायित्वों को तय करती है।

**शिक्षक के निम्न दायित्व बताये गये हैं :-**

1. स्कूल में नियमित आयेंगे।

2. पाठ्यक्रम संचालित करेंगे और समय पर पूरा करेंगे।

3. पढ़ाने का स्तर, गति और शिक्षण योजना बालकों के अनुसार तय की जायेगी। आवश्यक हो तो अतिरिक्त कक्षायें भी लेंगे।

4. माता - पिता व अभिभावकों के साथ संवाद करेंगे।

5. सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेंगे।

6. प्रति सप्ताह 45 कालांश।

धारा (27) - शिक्षक को जनगणना, आपदा चुनाव कार्यों के अलावा नहीं लगाया जायेगा।

धारा (28) - कोई भी अध्यापक निजी शिक्षण नहीं करवा सकता है।

धारा (29) - पाठ्यक्रम - सर्वांगीण विकास पर बल, मूल्य आधारित शिक्षा, मातृ भाषा में शिक्षा व गतिविधिपूर्ण शिक्षा बल।

धारा (30) - 8 वीं बोर्ड परीक्षा अनिवार्यता की समाप्ति।

धारा (38) - राज्य सरकार अधिनियम में अपनी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक संशोधन कर सकती है।

**(1). अध्यापकों की संख्या :-**

1. कक्षा 1 से 5 तक :-

1- 60 छात्र पर = 2 अध्यापक

61 - 90 छात्र पर = 3 अध्यापक

91 - 120 छात्र पर = 4 अध्यापक

121 - 150 छात्र पर = 5 अध्यापक

151 - 200 छात्र पर = 5 अध्यापक व 1 मुख्य अध्यापक।

छात्र - शिक्षक अनुपात = 40 : 1 (200 से अधिक होने पर)

2. कक्षा 6 से 8 तक - प्रति 35 छात्रों पर = 1 अध्यापक अनिवार्य तथा निम्न विषयों के अध्यापक प्रति कक्षा

गणित

विज्ञान

सामाजिक विज्ञान

भाषा।

## सामान्य विज्ञान

### अध्याय - 1

#### अम्ल, क्षार और लवण

##### 1. अम्ल:-

- अम्ल एक यौगिक है, जिसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, विलयन में  $H^+(aq)$ , उसकी अम्लीय विशेषता के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- ब्रोस्टेड-लोवरी सिद्धांत के अनुसार, अम्ल एक ऐसा प्रकार है जो अन्य प्रकारों को प्रोटोन दे सकता है।
- हाइड्रोजन आयन अकेले नहीं पाए जाते हैं, बल्कि वे पानी के अणुओं के साथ संयोजन के बाद मौजूद होते हैं। अतः, पानी में घोलने पर केवल धनात्मक आयनों के रूप में हाइड्रोनियम आयन ( $H_3O^+$ ) प्राप्त होते हैं।
- हाइड्रोजन आयनों की मौजूदगी एसिड को प्रबल और अच्छा विद्युत अपघट्य बनाती है।

##### प्रबल अम्ल:-

प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि।

##### कमजोर अम्ल:-

उदाहरण हैं:- एसीटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल इत्यादि।

अम्ल सामान्यतः स्वाद में खट्टे और संक्षारक होते हैं।

**सूचक :** परीक्षण कीजिये कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय।

- उदाहरण: हल्दी, लिटमस, गुइहल, इत्यादि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचकों में से कुछ हैं।
- लिटमस को थैलेफाइटा समूह से संबंधित एक पौधे लाइकेन से निकाला जाता है। आसुत जल में इसका रंग बैंगनी होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में रखा जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है और जब इसे क्षारीय विलयन में रखा जाता है, तो इसका रंग नीला हो जाता है।
- वे विलयन, जिनमें लिटमस का रंग या तो लाल या नीले में परिवर्तित नहीं होता है, उदासीन विलयन

कहलाते हैं। ये पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारीय।

- गंध सूचक, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय मीडियम में परिवर्तित हो जाती है।

##### अम्ल के प्रयोग :-

- हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में मदद करता है।
- विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है।
- कार्बोनिक अम्ल का उपयोग कानिटेड पेय पदार्थ और उर्वरक बनाने में किया जाता है।
- एक परिरक्षक सिरका, एसिटिक एसिड का तनुरूप है।
- सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग उर्वरकों, पेंट, सिंथेटिक फाइबर इत्यादि के निर्माण में किया जाता है।
- नाइट्रिक अम्ल का उपयोग एक्वा रेजिया को तैयार करने में किया जाता है, जिसका उपयोग सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं के शुद्धीकरण में किया जाता है।
- बोरिक अम्ल का उपयोग आंखों को धोने के लिए किया जाता है।
- फॉस्फोरिक अम्ल का उपयोग उर्वरक और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है।
- किसी अम्ल की क्षारकता को अम्ल के एक अणु में मौजूद आयनीकृत होने वाले हाइड्रोजन ( $H^+$ ) आयनों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।

अम्ल	फॉर्मूला	क्षारकता
हाइड्रोक्लोरिक	HCL	1-मोनोबेसिक

अम्ल		
नाइट्रिक अम्ल	$HNO_3$	1-मोनोबेसिक
कार्बोनिक अम्ल	$H_2CO_3$	2-डाइबेसिक
सल्फ्यूरिक अम्ल	$H_2SO_4$	2-डाइबेसिक
फोस्फोरस अम्ल	$H_3PO_3$	2-डाइबेसिक
फोस्फोरिक अम्ल	$H_3PO_4$	2-डाइबेसिक

अम्ल युक्त कार्बोक्जिलिक अम्ल के लिए, हम हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या की गणना नहीं करते

हैं, बल्कि कार्बोक्सिल समूह (अर्थात्)  $\text{COOH}$  की संख्या देखते हैं।

**रोज़मर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाले अम्ल :-**  
 अम्ल दो अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त होते हैं। वे कार्बनिक या खनिज अम्ल हो सकते हैं। सभी अम्लों में कुछ समान विशेषतायें होती हैं।

अम्ल के स्रोत	अम्ल का नाम
विनेगर	एसिटिक अम्ल
खट्टे फल	सिट्रिक अम्ल
अंगूर, इमली, करोंदे	टार्टरिक अम्ल
खट्टा दूध	लैक्टिक अम्ल
सेब	मैलिक अम्ल
दही	ब्यूट्रिक अम्ल
चाय, टमाटर	ऑक्सालिक अम्ल
लाल चींटियों का डंक और मधुमक्खियां	फॉर्मिक अम्ल
प्रोटीन	अमीनो अम्ल
अमरुद, संतरे	एस्कोबिक अम्ल

**नोट:-** पानी में अम्ल या क्षार को घोलने की प्रक्रिया अति ऊष्मक्षेपी प्रक्रियाओं में से एक है। अम्ल को पानी में हमेशा धीरे-धीरे उसे लगातार हिलाते हुए डालना चाहिए।

## 2. क्षार और एलकली :-

- क्षार एक ऐसा पदार्थ है, जिसे पानी में घोलने पर  $\text{OH}^-$ -आयन प्राप्त होते हैं। क्षार सामान्यतः धातु हाइड्रॉक्साइड ( $\text{MOH}$ ) होते हैं।
- ब्रॉन्स्टेड-लोवरी सिद्धांत के अनुसार, क्षार एक प्रोटोन स्वीकर्ता है।
- क्षार कड़वे स्वाद के साथ साबुन पदार्थ हैं।
- किसी क्षार की प्रबलता उसे पानी में घोलने पर प्राप्त हाइड्रॉक्सेल आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है।
- जल में घुलनशील क्षार एलकली कहलाते हैं। सभी एलकली क्षार होते हैं लेकिन सभी क्षार एलकली नहीं होते हैं।

### मजबूत क्षार :-

#### उदाहरण:-

- सोडियम हाइड्रॉक्साइड:  $\text{NaOH}$  (कास्टिक सोडा),
- पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड:  $\text{KOH}$  (caustic potash),
- कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड:  $\text{Ca(OH)}_2$

### कमजोर क्षार:-

#### उदाहरण:-

- मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड:  $\text{Mg(OH)}_2$ , अमोनियम हाइड्रॉक्साइड:  $\text{NH}_4\text{OH}$ .

## 3. लवण

**पोटाश फिटकिरी:-** (पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट  $\text{KAl(SO}_4)_2$ )

- इसका उपयोग कपड़े को डाई करने वाले उद्योगों में डाई करने के लिए किया जाता है।
- इसका उपयोग दांतों को साफ करने में किया जाता है।

### उद्योगों में लवण का उपयोग:-

- सोडियम क्लोराइड का उपयोग क्लोरीन, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है।
- अमोनियम लवणों का उपयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है।
- पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बंदूक पाउडर बनाने और अग्नि कार्यों में किया जाता है।
- सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है।
- पोटेशियम क्लोरेट का उपयोग मैच उद्योग में किया जाता है।
- एल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग फिटकरी बनाने में किया जाता है।

**4. पीएच पैमाना:-** लॉरिट्स सॉरेनसेन ने पीएच मान में  $p$  से आशय है जर्मन में पोटेंज (potenz), अर्थात् शक्ति

- वह पैमाना, जो अम्ल या क्षार की प्रबलता को मापता है, पीएच पैमाना कहलाता है। यह मान 0 और 14 के बीच में होता है।
- हाइड्रोनियम आयन की अधिक सांद्रता, कम पीएच मान को दर्शाती है।
- किसी उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। पीएच पैमाने पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। चूंकि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है, यह विलयन में  $\text{OH}^-$ -आयन सांद्रता में वृद्धि दर्शाता है, अर्थात्, एलकली की प्रबलता में वृद्धि।
- अधिकांश खाद्य फसलें 7-7.8 के पीएच पर सबसे अधिक पनपती हैं। यदि मिट्टी बहुत अम्लीय होती है तो पीएच को चूना (या बुझा हुआ चूना)

## अध्याय - 6

### कोशिका संरचना एवं प्रकार्य

मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं

#### कोशिका की खोज -

ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ई. में कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने बोटल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते, जैसे कोष्ठ देखें और इन्हें कोशा नाम दिया। यह तथ्य उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छपा। रॉबर्ट हुक ने कोशा - भित्तियों के आधार पर कोशा शब्द प्रयोग किया।

- वनस्पति विज्ञानशास्त्री श्लाइडेन एवं जन्तु विज्ञानशास्त्री श्वान ने 1839 में प्रसिद्ध कोशावाद को प्रस्तुत किया। अधिकांश कोशाएँ 0.5 $\mu$  से 20 $\mu$  के व्यास की होती हैं।
- 1674 ई. में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशा का सर्वप्रथम अध्ययन किया।
- 1831 ई. में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केन्द्रक व केन्द्रिका का पता लगाया।
- रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ई. में केन्द्रक की खोज की।
- जुवार्डिन ने जीवद्रव्य की खोज की जबकि पुरकिन्जे ने 1839 ई. में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्द्धतरल, दानेदार, सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया।
- कैमिलो गॉल्जी ने 1898 ई. में गॉल्जी उपकरण या गॉल्जीकाय की खोज की।
- फ्लेमिंग ने 1880 ई. में क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया।
- वाल्डेयर ने 1888 ई. में गुणसूत्र का नामकरण किया।
- वीजमैन ने 1892 ई. में सोमेटोप्लाज्म एवं जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया।
- जी.ई. पैलेड ने 1955 ई. में राइबोसोम की खोज की।
- क्रिश्चन रेने डे डुवे ने 1958 ई. में लाइसोसोम की खोज की।
- रिचर्ड अल्टमान ने सर्वप्रथम 1890 ई. में माइटोकॉण्ड्रिया की खोज की और इसे बायो-ब्लास्ट का नाम दिया।
- बेन्डा ने 1897-98 में माइटोकॉण्ड्रिया नाम दिया।
- शुतुमुर्ग चिडियाँ का अण्डा सबसे भारी एवं बड़ी कोशिका है।

जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं -

(i) **प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ** - प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ वे कोशिकाएँ कहलाती हैं जिनमें केन्द्रक - कला, केन्द्रक तथा सुविकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। इनमें 70s प्रकार के राइबोसोम पाये जाते हैं। रचना के आधार पर कोशिकाएँ आधी होती हैं। इनमें केन्द्रक पदार्थ स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। अर्थात् केन्द्रक पदार्थ जैसे-प्रोटीन, DNA तथा RNA कोशिकाद्रव्य के सीधे सम्पर्क में रहते हैं। इनके गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। उदाहरण - जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, रिकेट्सिया तथा हरे-नीले शैवालों की कोशिकाएँ आदि।

(ii) **यूकैरियोटिक कोशिकाएँ** - यूकैरियोटिक कोशिकाएँ वे कोशिकाएँ कहलाती हैं जिनमें केन्द्रक कला, केन्द्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाये जाते हैं। इनमें 80s प्रकार के राइबोसोम पाये जाते हैं।

इस प्रकार की कोशिकाएँ विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित-शैवाल को छोड़कर सभी पौधे विकसित कोशिका होते हैं। इनका आकार बड़ा होता है। इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केन्द्रक होता है जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है।

#### पादप कोशिका एवं जन्तु कोशिका में अंतर

पादप कोशिका	जन्तु कोशिका
1. कोशिका भित्ति पाई जाती है।	1. कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
2. हरितलवक पाए जाते हैं।	2. हरितलवक नहीं पाए जाते।
3. सेंटोसोम अनुपस्थित होते हैं।	3. सेंटोसोम उपस्थित होते हैं।
4. रिक्तिकाएँ बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं।	4. रिक्तिकाएँ छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं।
5. केन्द्रक परिधि की ओर हो सकता है।	5. अधिकांश जन्तु कोशिकाओं में केन्द्रक मध्य में होता है।

### ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर

क्रमांक	ऑक्सी श्वसन	अनाक्सी श्वसन
1	इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस आवश्यक है	इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता नहीं होती है।
2	इसमें ग्लूकोज के अणुओं का सम्पूर्ण विखंडन हो जाता है।	इसमें ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण रूप से विखंडन नहीं हो पाता है।
3	इसमें एक अणु ग्लूकोज से अत्यधिक ऊर्जा (686 कैलोरी) प्राप्त होती है।	इसमें एक अणु ग्लूकोज से केवल 56 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
4	इस क्रिया में कार्बन डाई-ऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलती है।	इस क्रिया में कार्बन डाई-ऑक्साइड कम मात्रा में निकलती है।
5	इसके अंत में कार्बन डाईऑक्साइड व जल ही प्राप्त होते हैं।	इस क्रिया में क्रिया के अंत में एथिल ऐल्कोहाल बनता है।
6	समीकरण - $C_6H_{12} + 6CO_2 + 6H_2O + 686kcal$	समीकरण - $C_6H_{12}O_6 + 2C_2H_5OH + 2CO_2 + 56kcal$
7	ये क्रियाएँ माइटोकॉण्ड्रिया में एक चक्र के रूप में घटित होती हैं। इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं।	ये क्रियाएँ कोशिका द्रव्य में ही घटित होती हैं।

कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के निम्नलिखित तीन मुख्य भाग होते हैं यथा -

(1) **कोशिका भित्ति (Cell Wall)**- कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पायी जाती है। जन्तु कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। यह सबसे बाहर की पर्त होती है। जीवद्रव्य के स्त्रावित पदार्थ

द्वारा इसका निर्माण होता है। यह मोटी, मजबूत और छिद्रयुक्त होती है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पारगम्य होती है। बहुत से कवकों तथा यीस्ट में यह काइटिन की बनी होती है।

- प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक नीचे अपेक्षाकृत मोटी, परिपक्व व स्थायी रूप से द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है। यह सेल्यूलोज पेक्टिन एवं लिग्निन आदि पदार्थों की बनी होती है।
- प्लाज्मा झिल्ली (जीव कला) कोशिका द्रव्य की वह बाहरी सीमा है जो विभिन्न प्रकार के अणुओं तथा आयनों के अन्दर आने - जाने पर नियंत्रण रखती है। तथा कोशिका द्रव्य में आयनों की सान्द्रता के अंतर को बनाये रखने में मदद करती है।
- प्लाज्मा झिल्ली को जीव कला तथा प्लाज्मालेमा आदि भी कहते हैं।
- कोशिका भित्ति वनस्पति कोशिकाओं में पायी जाती है, परंतु जन्तु कोशिकाओं में नहीं।
- प्लाज्मा झिल्ली जन्तु कोशिकाओं की सबसे बाहरी पर्त होती है जबकि वनस्पति कोशिकाओं में यह दूसरी पर्त होती है। यह वसा और प्रोटीन की बनी होती है।


(2) **जीवद्रव्य (Protoplasm)**- कोशिका के अंदर सम्पूर्ण पदार्थ को जीवद्रव्य कहते हैं। जीवों में होने वाली समस्त जैविक क्रियाएँ जीवद्रव्य में सम्पन्न होती हैं। इसलिए जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने जीवद्रव्य का रासायनिक विश्लेषण करके यह पता लगाया कि उसका निर्माण किन-किन घटकों द्वारा हुआ है, किन्तु आज तक किसी भी वैज्ञानिक को जीवद्रव्य में प्राण का संचार करने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। यह प्रकृति का रहस्यमय पदार्थ है।

- जोहॅन्स पुरकिन्जे ने सर्वप्रथम 1840 ई. में प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया।
- जीवद्रव्य के संघटन में लगभग 80 प्रतिशत जल होता है तथा इसमें अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक, अम्ल तथा एन्जाइम मुख्य हैं।
- अकार्बनिक पदार्थों में कुछ लवण, जैसे - सोडियम, पोटैशियम, कैल्सियम तथा आयरन के फॉस्फेट, सल्फेट क्लोराइड तथा कार्बोनेट पाये जाते हैं।

## वनस्पतियों में जनन (Reproduction in plants)

### वनस्पतियों में जनन की प्रमुख विधियाँ -

1. कायिक जनन (Vegetative Reproduction),
2. अलैंगिक जनन (Asexual Reproduction) और
3. लैंगिक जनन (Sexual Reproduction)



चित्र- पुष्प की अनुदैर्घ्य काट

**वानस्पतिक जनन (Vegetative reproduction)** या vegetative propagation या vegetative multiplication या vegetative cloning) एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो वनस्पतियों में होता है। इस जनन प्रक्रिया में बिना बीज या बीजाणु (spores) के ही नयी वनस्पति पैदा होती है। वानस्पतिक जनन प्राकृतिक रूप से भी होता है और उद्यानवैज्ञानिकों (horticulturists) द्वारा प्रेरित भी हो सकता है।

वानस्पतिक जनन में कोई वानस्पतिक भाग, (जड़, तना, अथवा पत्ती) नए पेड़ की उत्पत्ति करता है और जनक पौधे से अलग होकर नया जीवन प्रारंभ करता है। इसके दो प्रकार, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम, हैं।

### प्राकृतिक वानस्पतिक जनन निम्नलिखित प्रकार का होता है:

- समुद्भवन (Budding) कोशिका में एक तरफ या चारों तरफ अनेक प्रवर्ध निकलकर मातृ कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र रूप से प्रवर्धन (process) कर कोशिकाओं की शृंखला बनाते हैं। इसका

उदाहरण यीस्ट है। एक दूसरे प्रकार के समुद्भवन को जीमा (Gemma) समुद्भवन कहते हैं, जिसमें पतक पिंड के किसी निकले भाग से कलियाँ निकलकर उसी के साथ लिपटी रहती हैं, या अलग हो जाती हैं। ऐसा जनन काई, लिवरवर्ट और प्रवाल डेंड्रोफिलिया (Dendrophyllia) में देखा जाता है।

- भूस्तारी या रनर (Runner) में जो पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते वे जमीन पर रेंगते हुए बढ़ते हैं, उनके ऊपर के भाग पर वल्कल पत्र (scab leaves) रहते हैं, जिनके कोणों में कलियाँ रहती हैं। कलियों के बीच पतली झकड़ा जड़ें निकलकर जमीन के अंदर चली जाती हैं और इस प्रकार नए पौधे तैयार होते हैं। दूब घास इसका उदाहरण है।
- सकर (Suckers) भूस्तारी से मिलता जुलता है। अंतर यह है कि सकर में जमीन के अंदर तनों पर वल्कल पत्र होते हैं और उनके कोणों की कलियों से शाखाएँ निकलकर हवा में चली जाती हैं। प्रत्येक शाखा के तल से झकड़ा जड़ें निकलकर जमीन के अंदर घुस जाती हैं। पुदीना इसका उदाहरण है।
- भूस्तरिका या आफसेट (Offset) भी भूस्तारी की तरह फैलती है, पर यह भूस्तारी से छोटी और मोटी

होती हैं तथा थोड़ी दूर ही रेंगकर तने के अंत में एक नया पौधा उत्पन्न करती हैं।

- पत्रकंद या बल्बिल में अक्षकोणीय कलियाँ होती हैं, जो अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ एकत्रित हो जाने से मोटी हो जाती हैं और जमीन पर गिरने पर नए पौधे को जन्म देती हैं। लहसुन, पुष्पक्रम (Inflorescence), बनआलू या जमीकंद (Dioscorea bulbifera), अनन्नास इत्यादि इसके उदाहरण हैं।
- प्रकंद या राइजोम (Rhizome) के ऊपर वल्कल पत्र और नीचे झकड़ा जड़ें होती हैं। पत्र के कोणों की कलियों से अंकुर निकलकर हवा में चले जाते हैं। जड़ें प्रमुख राइजोम से अलग होकर वंशविस्तार करती हैं। इसके उदाहरण अदरक, हल्दी और फर्न हैं।
- घनकंद या कार्म (Corm) के उदाहरण घुड़ियाँ और बंडा हैं। इनमें नीचे एक फूला हुआ तना रहता है जिसे मंडल (Disc) कहते हैं। इसके ऊपर वल्कलपत्र का आवरण होता है। इनको कोण में कलियाँ रहती हैं, जिनसे अनुकूल मौसम पर अंकुर निकलकर ऊपर चला जाता है और नीचे से जड़ें निकलकर पृथ्वी के अंदर चली जाती हैं। इस प्रकार नए पौधे उत्पन्न होते रहते हैं।
- बल्ब (Bulb) घनकंद सा ही होता है, पर इसका मंडल अपेक्षया छोटा होता है और ऊपर रसीली मोटी फॉकियाँ होती हैं। अंदर की पत्ती के कोण में कली रहती है, जो अनुकूल मौसम पर नए तने को जन्म देती हैं। प्याज इसका उदाहरण है।
- कंद या ट्यूबर (Tuber) वल्कलपत्रों के कोणों में कंद लगता है। कंद का तना फूला हुआ रहता है। इसमें खाद्य संचित रहता है। आलू इसका अच्छा उदाहरण है। आलू पर कलियाँ या आँखें होती हैं। प्रत्येक आँख एक पौधा उत्पन्न करती है।
- जड़ों द्वारा वानस्पतिक उत्पादन में सतावर (Asparagus), डैलिया (Dahlia) और शकरकंद की जड़ें कंद उत्पन्न करती हैं, इन कंदों से फिर नए पौधे उत्पन्न होते हैं।

- पत्तियों द्वारा उत्पादन में कुछ पौधों के पत्ते नए पौधे उत्पन्न करते हैं। इन्हें पत्रकलिका (Leaf buds) कहते हैं। पत्थर कुची (Bryophyllum), बेगोनिया (Begonia), पर्णवृंत (Petiole) तथा कैलेंकोइ (Kalanchoe) इसके उदाहरण हैं। कुछ फर्न में भी इसी रीति से जनन होता है।

### कृत्रिम वानस्पतिक जनन

- कुछ पौधों का जनन कृत्रिम रीति से भी होता है। कुछ पौधे तनों की कतरन (cutting) से (इसके उदाहरण डुरैंडा, गुलाब, मेंहदी इत्यादि हैं), कुछ पौधे कलम बाँधने (Grafting) से (इसके उदाहरण आम, नीबू, कटहल आदि हैं) और कुछ दाब कलम (Layering) से (इसका उदाहरण अंगूर की लता है) नए पौधों को उत्पन्न करते हैं।

### पादपों में अलैंगिक प्रजनन

अधिकांश जंतुओं में प्रजनन की क्रिया के लिए संसेचन (शुक्राणु का अंड से मिलना) अनिवार्य है; परंतु कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनमें बिना संसेचन के प्रजनन हो जाता है, इसको अनिषेक जनन या अलैंगिक जनन (Asexual reproduction) कहते हैं।

अलैंगिक जनन में विशेष प्रकार की कोशिकाएँ, बिना किसी दूसरी इकाई से मिले ही, नए पौधों को उत्पन्न करती हैं। यह विखंडन विधि (fission) या बीजाणुनिर्माण विधि (sporulation) से होता है। पहली विधि से ही शैवाल, कवक और बीजाणुओं आदि का जनन एवं वर्धन होता है।

दूसरी विधि से जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। बीजाणु एककोशीय और बहुत सूक्ष्म होते हैं। कुछ शैवालों, जलकाइयों और कवकों में बीजाणु होते हैं जो केवल प्रोटोप्लाज्म के बने होते हैं। इनमें लोमक (Cilia) होते हैं। ऐसे बीजाणुओं को चलजन्यु (zoospores) कहते हैं। ये चलजन्यु लोमक की सहायता से तैरते हैं और शुद्धजलीय प्राणियों की भाँति बाद में नए पौधों में बदल जाते हैं। कुछ पदार्थों में, जैसे युलोथ्राक्स (Ulothrix) चलजन्यु अधिक संख्या में और सैप्रोलैंगिया (Saprolegnia) में उत्पन्न होते हैं।

कुछ शैवालों, जैसे नौस्टॉक (Nostoc) में, बीजाणुतंतु की कोशिकाओं से अचल बीजाणु उत्पन्न

नोट - प्रिय उम्मीदवारों, यहाँ हमने केवल SAMPLE ही दिया है, पूरा टॉपिक नहीं दिया है / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए नीचे दिए गये हमारे संपर्क नंबर पर कॉल कीजिए या लिंक पर क्लिक करें / दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान 3<sup>rd</sup> Grade Level - 1 (REET मुख्य परीक्षा)” में पूर्ण संभव मदद करेंगे और आप “INFUSION NOTES” के साथ इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे, धन्यवाद /

**संपर्क करें - 9694804063, 9887809083, 8233195718, 8504091672**

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम -

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
REET (लेवल -1, 2)	2021	98 (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	01 दिसम्बर	65 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	13 सितम्बर	113 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)

<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	15 सितम्बर	126 (200 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	95 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसंबर (1st शिफ्ट)	56 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	21 नवम्बर 2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)

**& Many More Exams like REET, UPSC, SSC Etc.**

दोस्तों, इनका proof देखने के लिए नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें या हमारे youtube चैनल पर देखें -

**RAS PRE.** - [https://www.youtube.com/watch?v=p3\\_i-3qfDy8&t=136s](https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=136s)


**VDO PRE.** - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

**Patwari** - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=103s>

अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह प्रश्न आये हैं Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (Infusion Notes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

whatsapp- <https://wa.link/hx3rcz> 2website- <https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes>

संपर्क करें- 9887809083, 8233195718, 9694804063, 8504091672

<b>ONLINE ORDER के लिए OFFICIAL WEBSITE</b>	Website- <a href="https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes">https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes</a>
<b>PHONE NUMBER</b>	<a href="tel:+918504091672">+918504091672</a> <b>9887809083</b> <a href="tel:+918233195718">+918233195718</a> <a href="tel:+919694804063">9694804063</a>
<b>TELEGRAM CHANNEL</b>	<a href="https://t.me/infusion_notes">https://t.me/infusion_notes</a>
<b>FACEBOOK PAGE</b>	<a href="https://www.facebook.com/infusion.notes">https://www.facebook.com/infusion.notes</a>
<b>WHATSAPP करें</b> 	<a href="https://wa.link/hx3rcz">https://wa.link/hx3rcz</a>



## शिक्षण विधियाँ

### अध्याय - 1

#### विज्ञान की शिक्षण विधियाँ

##### शिक्षण विधियाँ

शिक्षण एक उद्देश्यप्रद प्रक्रिया है जिसका आयोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शिक्षण के इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्यापक के द्वारा कक्षा में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक शिक्षणशास्त्र का विकास 'जॉन इमॉस कॉमेनियस' के ग्रेट डाइडेक्टिक' से माना जाता है। इमॉन के अनुसार सम्पूर्ण अनुदेशन प्राकृतिक रूप में श्रेणीबद्ध एवं व्यवस्थित किया जाना चाहिए।

- वर्तमान शिक्षण विधियों का जन्म तथा विकास रूसों के प्रयासों से माना जाता है।
- पेस्टालॉजी ने अपने सम्पूर्ण जीवन को शिक्षण पद्धतियों में सुधार करने में लगाया।
- पेस्टालॉजी के अनुयायी फाबेल ने किण्डरगार्टन पद्धति व हरबर्ट ने पंचपदीय प्रणाली को जन्म दिया।

##### विधियों की विशेषताएं -

- विधियाँ मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए।
- शैक्षिक सिद्धांतों से संबंधित होनी चाहिए।
- प्रेरणादायी होनी चाहिए।
- क्रिया आधारित होनी चाहिए।
- मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उपयोगी होनी चाहिए।

##### आगमन विधि

शिक्षण की वह विधि जिसमें विशिष्ट उदाहरणों के माध्यम से सामान्यीकरण की ओर शिक्षण किया जाता है विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर मार्ग को अपनाते हैं। विधि के द्वारा शिक्षण करवाते समय नियम, सिद्धांत को पहले छात्रों को प्रत्यक्ष ढंग से नहीं बताया जाता है बल्कि दिये गये उदाहरणों के आधार पर उन्हें मूलभूत नियम को स्वयं खोजना होता है।

जैसे - कई प्रकार के वृक्षों की पत्तियों को देखने के बाद छात्र इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि प्रायः पत्तियों का रंग हरा होता है। इस प्रकार आगमन विधि में निम्नलिखित चार अवस्थाएँ होती हैं -

##### विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, मूल्यांकन (परीक्षण)

विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय आगमन विधि को काम में लाया जाता है। फ्रांस विद्वान गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने प्रथम बार गणितीय आगमन का विचार दिया था।

नोट - विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय आगमन विधि को काम में लाया जाता है। आधुनिक गणित में आगमन एक महत्वपूर्ण सीखने की प्रक्रिया है। इस विधि में विशिष्ट उदाहरणों द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है। आगमन का आरंभ निरीक्षण से होता है। गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने प्रथम बार गणितीय आगमन का विचार दिया था।

##### विधि के सूत्र -

- उदाहरण से नियम की ओर
- ज्ञात से अज्ञात की ओर
- विशिष्ट से सामान्य की ओर
- स्थूल से सूक्ष्म की ओर
- प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर

##### विधि की विशेषताएँ - बालकों की अर्जित निपुणता का ज्ञान होता है।

- बालक को नियमीकरण, सामान्यीकरण, सूत्र निर्धारण आदि की प्रक्रियाओं का अभ्यास हो जाता है।
- इस विधि से अध्ययन करने पर छात्र थकावट महसूस नहीं करते।
- बालकों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
- विषय संबंधी नवीन नियम तथा नवीन सिद्धांत ज्ञात किये जा सकते हैं।
- छोटी कक्षाओं के लिए यह विधि विशेष उपयोगी है, यह मनोवैज्ञानिक एवं व्यावहारिक विधि है।
- नवीन ज्ञान को सीखने के लिए उत्सुकता में वृद्धि होती है।

## अध्याय - 3

### विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री एवं उपयोग

शिक्षण एवं अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका आयोजन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कक्षा में इन उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए व शिक्षण की प्रक्रिया को सुगम व प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक के द्वारा शिक्षण के साथ विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं।

शिक्षण - सामग्री : विशेषता -

शिक्षण सामग्री में निम्न गुणों का होना आवश्यक है -

- सामग्री को मनोवैज्ञानिक होना चाहिए।
- सामग्री रोचकपूर्ण होनी चाहिए।
- सामग्री प्रेरकपूर्ण होनी चाहिए।
- सामग्री को उद्देश्यों, विषयवस्तु तथा कक्षा के साथ संबंधित होनी चाहिए।
- सामग्री को निर्माण तथा प्रयोग की दृष्टि से व्यावहारिक होना चाहिए।
- सामग्री का मितव्ययी होना चाहिए।
- शिक्षण सामग्री को सहज, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावी होना चाहिए।

### शिक्षण सामग्री : प्रकार -

शिक्षण सामग्रियों को सामान्यतः उनकी प्रकृति के आधार पर निम्न भागों में बाँटा जाता है -

- ❖ **दृश्य सामग्री** - वे सामग्री जिनका मूर्त रूप से अवलोकन किया जाता है तथा जो बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करती हो। ये प्राथमिक एवं उच्च कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए अधिक उपयोगी होती है। जैसे - नमूने, मॉडल, चित्र, मानचित्र, चार्ट, यामपट्ट, पोस्टर, फ्लेनल बोर्ड, ओ. एच. पी. एपिडास्कोप (चित्र विस्तारक यंत्र ; जो छोटे चित्रों का बड़े आकार में प्रदर्शन करता है।)
- ❖ **श्रवण सामग्री** - वे सामग्री जिनका संबंध केवल श्रवण शक्तियों से होता है। ये सामग्रियाँ तुलनात्मक दृष्टि से उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे - रेडियो, टेपरिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन।

- ❖ **दृश्य - श्रव्य सामग्री** - वे सामग्री जिनका प्रदर्शन उपरोक्त दोनों तरीकों से किया जाता है। ये सामग्री सभी स्तरों के लिए समान रूप से उपयोगी होती है। जैसे - टेलीविजन, सिनेमा या चलचित्र, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, विडियोगेम, प्रोजेक्टर, नाटक, होलोग्राम, कम्प्यूटर, टेलीकाफ्रैसिंग आदि।

### दृश्य - श्रव्य सामग्री के कार्य -

दृश्य - श्रव्य सामग्री के कार्य एवं महत्व पर नीचे की पंक्तियों पर प्रकाश डाला जा रहा है -

- ❖ **सर्वोत्तम प्रेरक** - श्रव्य दृश्य साधन बालकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। साथ ही उनमें रुचि एवं उत्साह उत्पन्न करते हैं।
- ❖ **मौखिक शिक्षण के आधार** - ये साधन स्पष्ट अवधारणानाएँ प्रदान करते हैं और अधिगम में शुद्धता लाते हैं।
- ❖ **स्पष्टीकरण** - इसके द्वारा बालकों को कठिन से कठिन सामग्री का स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है।
- ❖ **सार्थक अनुभव** - इसके द्वारा छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किये जाते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव सबसे शिक्षाप्रद होते हैं।
- ❖ **रटने को कम करना** - इसके प्रयोग में छात्रों को पाठ के लिए रुचि विकसित की जाती है तथा ज्ञान को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है।
- ❖ **विविध अनुभव** - इनके प्रयोग से छात्रों को विभिन्न प्रकार के अनुदान प्रदान किये जाते हैं।

### दृश्य - श्रव्य साधनों का उपयुक्त चयन तथा प्रयोग-

दृश्य - श्रव्य साधनों की प्रभावकारिता उनके उपयुक्त चयन एवं प्रयोग पर निर्भर है। साधनों का चयन करते समय हमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए -

- साधन अध्ययन के प्रकरण से संबंधित होना चाहिए।
- साधन द्वारा प्रकरण का शुद्ध स्वरूप प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- साधन छात्रों के अनुभव और उनकी समझ में उपयुक्त होने चाहिए।

## अध्याय - 2

### मुगल साम्राज्य

#### बाबर से औरंगजेब तक

##### बाबर (1526 - 1530 ई.)

- पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल, 1526 को इब्राहिम लोदी और चुगताई तुर्क जलालुद्दीन बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया।
  - लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर खानाबदोश बाबर ने तीन शताब्दियों से सत्तारूढ़ तुर्क अफगानी सुल्तानों की- दिल्ली सल्तनत का तख्ता पलट कर दिया।
  - बाबर ने मुगल साम्राज्य और मुगल सल्तनत की नींव रखी।
  - मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे मुगल शासन 17 वीं शताब्दी के आखिर में और 18 वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19 वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ।
  - बाबर का जन्म छोटी सी रियासत 'फरगना में 1483 ई. में हुआ था। जो फिलहाल उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है।
  - बाबर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात् मात्र 11 वर्ष की आयु में ही फरगना का शासक बन गया था। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खाँ लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खाँ लोदी ने भेजा था।
  - पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, 1526 ई. को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई।
  - खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ई. में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई।
  - चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ई. में मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई।
  - घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ई. में अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई।
- नोट** -पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा / तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था।
- उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे। जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था।
- पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर उसके द्वारा किया गया पांचवा आक्रमण था, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराकर विजय प्राप्त की थी और मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी।
  - बाबर की विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना और कुशल सेना प्रतिनिधित्व था। भारत में तोप का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने ही किया था।
  - पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की 'तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने के लिए' उस्मानी विधि जिसे 'स्मी विधि' भी कहा जाता है, का प्रयोग किया था।
  - पानीपत के युद्ध में विजय की खुशी में बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक चाँदी का सिक्का दान में दिया था। अपनी इसी उदारता के कारण बाबर को 'कलन्दर' भी कहा जाता था।
  - बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात् उनके शासकों को 'सुल्तान' कहे जाने की परम्परा को तोड़कर अपने आपको 'बादशाह' कहलवाना शुरू किया।
  - पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध 17 मार्च, 1527 ई. में आगरा से 40 किमी दूर खानवा नामक स्थान पर हुआ था।
  - खानवा विजय प्राप्त करने के पश्चात् बाबर ने गाज़ी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध के लिए अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने 'जिहाद' का नारा दिया था।
  - खानवा के युद्ध में मुसलमानों पर लगने वाले कर तमगा की समाप्ति की घोषणा की थी, यह एक प्रकार का व्यापारिक कर था।
  - 29 जनवरी, 1528 को बाबर ने चंदेरी के शासक मेदनी राय पर आक्रमण कर उसे पराजित किया था। यह विजय बाबर को मालवा जीतने में सहायक रही थी।
  - बाबर ने 06 मई, 1529 में 'घाघरा का युद्ध लड़ा था। जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना को हराया था।
  - बाबर ने अपनी आत्मकथा 'बाबरनामा' का निर्माण किया था, जिसे तुर्की में 'तुजुके बाबरी' कहा जाता है। जिसे बाबर ने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा है।
  - बाबरनामा में बाबर ने तत्कालीन भारतीय दशा का विवरण दिया है। जिसका फारसी अनुवाद अब्दुर्हीम खानखाना ने किया है और अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती बेबरिज द्वारा किया गया है।
  - बाबर ने अपनी आत्मकथा में 'बाबरनामा कृष्णदेव राय तत्कालीन विजयनगर के शासक को

समकालीन भारत का शक्तिशाली राजा कहा है। साथ ही पांच मुस्लिम और दो हिन्दू राजाओं मेंवाड़ और विजयनगर का ही जिक्र किया है।

- बाबर ने 'रिसाल ए-उसज' की रचना की थी, जिसे 'खत-ए बाबरी' भी कहा जाता है।
- बाबर ने एक तुर्की काव्य संग्रह 'दिवान का संकलन भी करवाया था। बाबर ने 'मुबइयान' नामक पद्य शैली का विकास भी किया था।
- बाबर ने संभल और पानीपत में मस्जिद का निर्माण भी करवाया था।
- बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में मंदिरों के बीच 1528 से 1529 के मध्य एक बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया।
- बाबर ने आगरा में एक बाग का निर्माण करवाया था, जिसे 'नर-ए-अफगान' कहा जाता था, जिसे वर्तमान में 'आरामबाग-' के नाम से जाना जाता है।
- इसमें चारबाग शैली का प्रयोग किया गया है। यहीं पर 26 दिसम्बर, 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद उसको दफनाया गया था। परन्तु कुछ समय बाद बाबर के शव को उसके द्वारा ही चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया था।
- बाबर को मुबइयान नामक पद्य शैली का जन्म दाता माना जाता है।
- बाबर को उदारता के कारण कलन्दर की उपाधि दी गयी थी।
- बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबेदुल्ला अरहार का अनुयायी था।
- बाबर के चार पुत्र हिन्दाल, कामरान, अस्करी और हुमायूँ थे। जिनमें हुमायूँ सबसे बड़ा था फलस्वरूप बाबर की मृत्यु के पश्चात् उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूँ अगला मुगल शासक बना।
- पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग एत्मादुद्दौला के मकबरे में हुआ है जो ईरानी शैली का है।

### हुमायूँ (1530 ई-1556 ई.)

- बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूँ मुगल वंश के शासन (गद्दी) पर बैठा।
- हुमायूँ ने अपने साम्राज्य का विभाजन भाइयों में किया था। उसने कामरान को काबुल एवं कंधार, अस्करी को संभल तथा हिंदाल को अलवर प्रदान किया था।
- हुमायूँ के सबसे बड़े शत्रु अफगान थे, क्योंकि वे बाबर के समय से ही मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ने के लिए प्रयत्नशील थे।

- हुमायूँ का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अफगान नेता शेर खाँ था, जिसे शेरशाह सूरी भी कहा जाता है।
- हुमायूँ का अफगानों से पहला मुकाबला 1532 ई. में 'दौहरिया' नामक स्थान पर हुआ। इसमें अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था। इस संघर्ष में हुमायूँ सफल रहा।
- 1532 ई. में हुमायूँ ने शेर खाँ के चुनार किले पर घेरा डाला। इस अभियान में शेर खाँ ने हुमायूँ की अधीनता स्वीकार कर ली।
- 1532 ई. में हुमायूँ ने दिल्ली में 'दीन पनाह' नामक नगर की स्थापना की।
- चारबाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूँ के मकबरे में हुआ जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकन्दर लोदी का था।
- हुमायूँ के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है।
- स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक हुमायूँ था।
- हुमायूँ ने 1535 ई. में ही उसने बहादुर शाह को हराकर गुजरात और मालवा पर विजय प्राप्त की।
- शेर खाँ की बढ़ती शक्ति को दबाने के लिए हुमायूँ ने 1538 ई. में चुनारगढ़ के किले पर दूसरा घेरा डालकर उसे अपने अधीन कर लिया।
- 1538 ई. में हुमायूँ ने बंगाल को जीतकर मुगल शासक के अधीन कर लिया। बंगाल विजय से लौटते समय 26 जून, 1539 को चौसा के युद्ध में शेर खाँ ने हुमायूँ को बुरी तरह पराजित किया।
- शेर खाँ ने 17 मई, 1540 को बिलग्राम के युद्ध में पुनः हुमायूँ को पराजित कर दिल्ली पर बैठा। हुमायूँ को मजबूर होकर भारत से बाहर भागना पड़ा।
- 1544 में हुमायूँ ईरान के शाह तहमस्प के यहाँ शरण लेकर पुनः युद्ध की तैयारी में लग गया।
- 15 मई, 1555 को मच्छीवाड़ा तथा 22 जून, 1555 को सरहिन्द के युद्ध में सिकन्दर शाह सूरी को पराजित कर हुमायूँ ने दिल्ली पर पुनः अधिकार लिया।
- 23 जुलाई, 1555 को हुमायूँ एक बार फिर दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ, परन्तु अगले ही वर्ष 27 जनवरी, 1556 को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गयी।
- लेनपूल ने हुमायूँ पर टिप्पणी करते हुए कहा, "हुमायूँ जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसने अपनी जान दे दी।"
- बैरम खाँ हुमायूँ का योग्य एवं वफादार सेनापति था, जिसने निर्वासन तथा पुनः राजसिंहासन प्राप्त करने में हुमायूँ की मदद की।

## अध्याय - 6

### राजस्थान में कृषि

#### ऋतु के आधार पर

##### ○ खरीफ की फसलें

- खरीफ की प्रमुख फसलें धान, मक्का, ज्वार, मूंग, मूंगफली, लोबिया, कपास, जूट, बाजरा, ग्वार, तिल, मोठ आदि हैं।

(ब) खरीफ की फसलों की बुवाई जुलाई में और कटाई अक्टूबर महीने में की जाती है।

##### ○ रबी की फसलें

- रबी की प्रमुख फसलें जौ, राई, गेहूँ, जई, सरसों, मैथी, चना, मटर आदि हैं।
- (ब) रबी की फसल की बुवाई अक्टूबर में तथा कटाई अप्रैल महीने में की जाती है।

##### ○ जायद की फसलें

- जायद की प्रमुख फसलों में तरबूज, खरबूजा, टिंडा, ककड़ी, खीरे, मिर्च आदि हैं।
- (ब) जायद की फसल की बुवाई मार्च में तथा कटाई जून महीने में की जाती है।
- उपयोग के आधार पर

- **खाद्यान फसलें** - राजस्थान की खाद्यान फसलें गेहूँ, चावल (धान), बाजरा, जौ, मक्का, ज्वार, दलहन, तिलहन प्रमुख हैं।

- **वाणिज्यिक फसलें** - राजस्थान की वाणिज्यिक फसलें कपास और गन्ना हैं।

- राजस्थान में खाद्यान्नों में गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, रबी एवं खरीफ की दलहन फसलें शामिल हैं।

##### ● गेहूँ

- राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में खाद्यान्न फसल के रूप में गेहूँ बोया जाता है। गेहूँ को बोये जाने के समय तापमान कम से कम 8° से 10° सें. तक होना चाहिए तथा पकने के समय तापमान 15° से 20° सें. तक होना चाहिए।
- 50 सेमी. से 100 सेमी. के बीच वर्षा की आवश्यकता होती है। राजस्थान में साधारण गेहूँ (ट्रीटीकम) एवं मेकरोनी गेहूँ (लाल गेहूँ) सर्वाधिक पैदा होता है। गेहूँ

उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, कोटा, गंगानगर, हनुमानगढ़ और सर्वाई माधोपुर जिले हैं।

- राजस्थान में सर्वाधिक गेहूँ गंगानगर जिले में उत्पादित होता है इसलिए गंगानगर जिला अन्न का भण्डार कहलाता है।
- नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी, महीन काँप मिट्टी व चीका प्रधान मिट्टी गेहूँ उत्पादन हेतु उपयुक्त होती है। मिट्टी का pH मान 5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए।
- राजस्थान में दुर्गापुरा-65, कल्याण सोना, मैक्सिकन, सोनेरा, शरबती, कोहिनूर, सोनालिका, गंगा सुनहरी, मंगला, कार्निया-65, लाल बहादूर, चम्बल-65, राजस्थान-3077 आदि किस्में बोई जाती हैं।
- गेहूँ में छाछया, करजवा, रतुआ, चेपा रोग पाए जाते हैं।
- इण्डिया मिक्स- गेहूँ, मक्का व सोयाबीन का मिश्रित आटा।

#### जौ

- राजस्थान में जौ उत्पादन क्षेत्रफल लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर है।
- भारत के कुल उत्पादन का 1/4 भाग राजस्थान में पैदा होता है। जौ शीतोष्ण जलवायु का पौधा है तथा रबी की फसल है।
- जौ की बुवाई के समय लगभग 10° सें. तापमान की आवश्यकता है तथा काटते समय 20° से 22° सेन्टीग्रेड तापमान होना चाहिए।
- जौ के लिए शुष्क और बालू मिश्रित काँप मिट्टी उपयुक्त रहती है।
- जौ की प्रमुख किस्में ज्योतिराजकिरण, R-D. 2503, मोल्वा आदि हैं। राजस्थान में प्रमुख जौ उत्पादन जिले जयपुर (सर्वाधिक), उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा व अजमेर हैं।
- जौ का उपयोग मिसी रोटी बनाने, मधुमेह रोगी के उपचार, शराब व बीयर बनाने, माल्ट उद्योग में किया जाता है।

#### बाजरा

- विश्व का सर्वाधिक बाजरा भारत में पैदा होता है। बाजरे के उत्पादन एवं क्षेत्रफल में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। राजस्थान देश का लगभग एक तिहाई बाजरा उत्पादित करता है।

- बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली खरीफ की फसल है।
- बाजरा के लिए शुष्क जलवायु उपयुक्त रहती है।
- बाजरे की बुवाई मई, जून या जुलाई माह में होती है। बाजरे की बुवाई करते समय तापमान 35° से 40° सेन्टीग्रेड तक होना चाहिए।
- बाजरे के लिए 50 सेमी. से कम वर्षा उपयुक्त रहती है। बाजरा बलुई, बंजर, मरुस्थलीय तथा अर्द्ध काँपीय मिट्टी में पैदा होता है।
- बाजरा की प्रमुख किस्में ICTP - 8203, WCC - 75, राजस्थान - 171, RHB - 30, RHB - 58, RHB - 911, राजस्थान बाजरा चरी-2 है। बाजरा को जोगिया, ग्रीन ईयर, कण्डुआ, सूखा रोग नुकसान पहुँचाते हैं।
- केन्द्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार परियोजना व मिलेट डायरेक्टोरेट को क्रमशः पूना व चेन्नई से जौधपुर व जयपुर स्थानांतरित किया गया है। दो नए केन्द्र बीकानेर एवं जौधपुर में स्थापित किए गए हैं।

### मक्का

- भारत के कुल मक्का उत्पादन का 1/8 भाग राजस्थान में उत्पादित होता है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है।
- ऊष्ण एवं आर्द्र जलवायु मक्का के लिए उपयुक्त रहती है। मक्का की बुवाई करते समय औसत तापमान 21° से 27° सेन्टीग्रेड तक होना चाहिए।
- मक्का के लिए 50 सेमी. से 80 सेमी. तक वर्षा की आवश्यकता रहती है। मक्का के लिए नाइट्रोजन व जीवाँ शयुक्त मिट्टी, दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है।
- मक्का की प्रमुख किस्में माही कंचन, माही धवल, सविता (संकर किस्म), नवजोत, गंगा-2, गंगा-11, अगेती-76, किरण आदि हैं।
- मक्का की हरी पत्तियों से साईलेज चारा बनाया जाता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मक्के के पौधे का 80 प्रतिशत विकास रात के समय होता है।
- बांसवाड़ा जिले के बोरवर गाँव में कृषि अनुसंधान केन्द्र संचालित है। इस केन्द्र ने मक्का की संयुक्त किस्में माही कंचन एवं माही धवल विकसित की हैं।
- मक्का के दानों से मांडी (स्टार्च), ग्लूकोज तथा एल्कोहल तैयार किया जाता है। मक्का मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख खाद्यान्न है।

### चावल -

- चावल ऊष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए 20° से 27° सेन्टीग्रेड तक तापमान एवं 125 से 200 सेमी. वार्षिक वर्षा की आवश्यकता रहती है।
- चावल के लिए काँपीय, दोमट, चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है।
- वर्तमान में राजस्थान में जापानी पद्धति से चावल की खेती की जाती है। चावल की प्रमुख किस्में कावेरी, जया, परमल, चम्बल, गरडाबासमती, NP-130, BK-190, T& 29, सफेदा एवं लकडा, माही सुगंधा (कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा द्वारा विकसित) है।
- राजस्थान में प्रमुख चावल उत्पादक जिले बांसवाड़ा, बूंदी, हनुमानगढ़, बारां, कोटा, उदयपुर और गंगानगर हैं।
- राजस्थान का लगभग आधा चावल उत्पादन केवल दो जिलों बांसवाड़ा व हनुमानगढ़ में होता है।
- राजस्थान में चावल का प्रति हैक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक हनुमानगढ़ जिले में होता है।

### ज्वार -

- ज्वार ऊष्ण कटिबंधीय खरीफ की फसल है तथा इसके लिए औसत तापमान 20° से 32° सेन्टीग्रेड तथा 50 से 60 सेमी. वार्षिक वर्षा उपयुक्त रहती है। ज्वार की बुवाई हेतु दोमट मिट्टी अथवा गहरी या मध्य काली मिट्टी उपयुक्त रहती है।
- राजस्थान में ज्वार की दो प्रमुख किस्में-
- राजस्थान चरी-1 एवं चरी-2 चारे के लिए तैयार की गई हैं।

### दलहन -

- राज्य में रबी मौसम में चना, मटर व मसूर तथा खरीफ के मौसम में मोठ, उड़द, मूंग, चावल व अरहर प्रमुख दलहनी फसलें हैं।
- दलहन का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से 1974 - 75 में केन्द्र संचालित दलहन विकास योजना शुरू की गई।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से बाजरा, गेहूँ के बाद चने को तीसरा स्थान प्राप्त है।
- राजस्थान में कुल दलहनी फसलों में चने का उत्पादन सर्वाधिक होता है।
- चना की बुवाई के समय तापमान लगभग 20° सेन्टीग्रेड एवं काटते समय तापमान 30° से 35° सेन्टीग्रेड तक होना चाहिए।

## ● राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति

### राष्ट्रपति पद अर्हताएँ (अनुच्छेद 58)

- भारत का नागरिक हो ।
- न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो ।
- वह लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो ।
- वह की लाभ के पद पर कार्यरत न हो ।
- वह पागल या दिवालिया न हो
- भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान से (आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है ।

### भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने वाले सदस्य -

- राज्य सभा, लोक सभा और राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं ।
- भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा होता है ।
- भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है ।
- राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह विधान मण्डल में उच्च सदन का सदस्य हो ।
- राज्यों की विधान सभायें राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल का तो भाग हैं परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है ।

### राष्ट्रपति की पदावधि (Term of Office)

- अनु. 56 के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद धारण करने की तिथि से पांच वर्ष तक होती है ।
- संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पदमुक्त किया जा सकता है ।
- अनु. 61(1) के तहत, महाभियोग हेतु एकमात्र आधार 'संविधान का अतिक्रमण' उल्लिखित है ।
- यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति, नये राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा ।

- यदि उपराष्ट्रपति, का पद रिक्त हों, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (और यदि यह भी पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा ।
- पद रिक्त होने की तिथि से छह महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना आवश्यक है । वर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्रपति, संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा ।
- पद- धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के संमुख शपथ लेनी पड़ती है ।
- अनुच्छेद-77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका करवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई खी जाएगी । और अनु. 77 (3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा ।

### राष्ट्रपति से सम्बंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनु.52 : भारत का राष्ट्रपति
अनु.53 : संघ की कार्यपालिका शक्ति
अनु.54 : राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल
अनु.55 : राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
अनु.56 : राष्ट्रपति की पदावधि
अनु.57 : पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
अनु.58 : राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ
अनु.59 : राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें
अनु.60 : राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
अनु.61 : राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनु.62 : राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि
अनु.72 : क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलम्बन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
अनु.73 : संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

### राष्ट्रपति निम्न दशाओं में पांच वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है।

- उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जायेगा जो इसकी सूचना लोक सभा अध्यक्ष को देगा। अनु. 56 (2)
- महाभियोग द्वारा हटाये जाने पर अनु 61 महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, जो अनु. 61 (1) में उल्लेखित है वह है संविधान का अतिक्रमण।

### राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनु. 61) :-

- महाभियोग संसद में संपन्न होने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।
- राष्ट्रपति को 'संविधान का अतिक्रमण' करने पर उसके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। एक सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाए जाने पर दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा करवाएगा।
- संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इस हेतु 14 दिनों की अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
- चूंकि संविधान राष्ट्रपति को हटाने का आधार और तरीका प्रदान करता है, अतः अनुच्छेद 56 और 61 की शर्तों के अनुरूप महाभियोग के अतिरिक्त उसे और किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा सकता है।

### अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाचन अनु. 70

- जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनु. 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबन्ध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबन्ध कर सकती है। इसी उद्देश्य से
- संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम, 1969 ई. पारित किया। जो यह उपबन्धित करता है की यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम

न्यायाधीश, जो उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति के कृत्यों को सम्पादित करेगा।

- राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है।
- राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है।
- राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास-स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं।
- राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है।
- राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है।

### राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
- प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- सर्वोच्च न्यायालयों एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति।
  - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति।
  - राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति।
  - मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति।
  - भारत के महान्यायावादी की नियुक्ति।
  - राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अन्तर्राज्यीय परिषद के सदस्य।
  - संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों।
  - संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों।
  - वित्त आयोग के सदस्यों।
  - भाषा आयोग के सदस्यों।
  - पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों।
  - अल्प संख्यक आयोग के सदस्यों।
  - भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों।
  - अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि।
  - राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं।
  - संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त हैं।
  - संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदन में अभिभाषण करने की शक्ति।

तक विधान मंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे।

- राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी माँग को विधान मंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता।
- राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए राज्य विधान मंडल के पास भेज सकता है, परन्तु राज्य विधान मंडल द्वारा इसे दुबारा पारित किए जाने पर वह उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होता है।
- अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को किसी अपराध के लिए सिद्धदोष, किसी व्यक्ति को दण्ड को क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने या । लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है
- उपराज्यपाल-दिल्ली, दमन तथा दीव, पाण्डिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासक-दादर एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप।
- भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है ।
- जम्मू एवं कश्मीर के उप-राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है ।
- वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन 3,50,000 रुपये है ।
- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है ।
- सरोजनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी ।

राज्यपाल से सम्बंधित प्रमुख अनुच्छेद	
अनु. 153	राज्यों के राज्यपाल
अनु. 154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना ।
अनु. 160	आर्कास्मेक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य
अनु. 161	क्षमा दान तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति
अनु. 163	मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना
अनु. 200	राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति
अनु. 201	राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना ।
अनु. 213	राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति
अनु. 233	राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति

## • मुख्यमंत्री, राज्य महाधिवक्ता, राज्य विधानमण्डल

### मुख्यमंत्री

- राज्य क मंत्रिपरिषद् का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा (अनुच्छेद 164)।
- मुख्यमंत्री बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए-
- वह भारत का नागरिक हो।
- 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- विधानमण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो।
- इसके अतिरिक्त एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधान-मण्डल का सदस्य नहीं भी हो, छः माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमण्डल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा।

### मुख्यमंत्री के कार्य

- मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार की जाती है।
- यह निर्णय करना भी मुख्यमंत्री का ही कार्य है कि किस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री, किसको राज्यमंत्री तथा किसको उप-मंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद् का विस्तार करने का भी अधिकारी है।
- संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री विभागों का विभाजन करने हेतु स्वतंत्र है
- मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी कर सकता है।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का पुनर्गठन भी कर सकता है।
- यदि कोई मंत्री मुख्यमंत्री की नीति से सहमत नहीं है तो मुख्यमंत्री उसको त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है
- यदि मंत्री त्यागपत्र देने से इंकार करता है तो मुख्यमंत्री उसे अपदस्थ करवा सकता है।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का अध्यक्ष होता है। वह मंत्रिपरिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, अधिवेशनों की तिथि तय करना तथा उसके लिए कार्य सूची बनाना भी मुख्यमंत्री का ही अधिकार है।

- मंत्रिपरिषद् के निर्णयों की राज्यपाल को सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है (अनुच्छेद 167)।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् का ही नहीं बल्कि राज्य विधानमण्डल का भी नेता माना जाता है।
- विधानमंडल में महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा मुख्यमंत्री ही करता है।
- विधानसभा को स्थगित और भंग किये जाने का निर्णय भी मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है।
- मुख्यमंत्री राज्यपाल को शासन संबंधी प्रत्येक मामले में परामर्श देता है।
- संविधान के अनुसार राज्यपाल उस समय मुख्यमंत्री का परामर्श नहीं लेता जब वह केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अन्य स्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करता है।
- राज्य में सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। अतः मुख्यमंत्री ही राज्य का वास्तविक शासक होता है।
- राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा (अनुच्छेद 165)।
- उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो राज्यपाल निर्धारित करे।
- राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा (Legislative Assembly) में या विधानपरिषद् वाले राज्य की दशा में दोनों सदनो में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा (अनुच्छेद 177)।

## राज्य विधानमण्डल

- संरचना संविधान के अनुच्छेद 168 (अध्याय-III) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य हेतु एक विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है।
- इसी अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान-मंडल में राज्यपाल के अतिरिक्त विधानमंडल के एक या दोनों सदन शामिल हैं।
- वर्तमान में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्वि-सदनीय विधानमंडल और शेष राज्यों में एकसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है।

- जम्मू-कश्मीर राज्य में भी विधान परिषद् है परंतु इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा नहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य के अपने संविधान द्वारा की गई है।
- जिन राज्यों में दो सदन हैं वहाँ एक को विधानसभा तथा दूसरे को विधान परिषद् कहते हैं। जिन राज्यों में एक सदन है उसका नाम विधानसभा है।

## राज्य व्यवस्थापिका की भूमिका -

- राज्य की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य व्यवस्थापिका (State Legislature) की केन्द्रीय एवं प्रभावी भूमिका होती है।
- संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमण्डल का संगठन, कार्यकाल, अधिकारियों, शक्तियों एवं विशेषाधिकार आदि के बारे में बताया गया है। है।

**विधानमण्डल** में दो सदन हैं उच्च सदन विधानपरिषद् और निम्न सदन विधानसभा कहलाती है।

- वर्तमान में केवल सात राज्यों-कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आन्ध्र प्रदेश व जम्मू-कश्मीर में विधानपरिषद् है।
- संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसी राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक और किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती।
- भारतीय संसद कानून द्वारा विधान परिषद् की रचना के संबंध में संशोधन कर सकती है।
- अनुच्छेद 173 के अनुसार, विधानपरिषद् के सदस्यों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं।

1. वह भारत का नागरिक हो।

2. संसद द्वारा निश्चित अन्य योग्यताएँ रखता हो।

3. 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

4. किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया न घोषित किया गया हो।

5. संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार विधानसभा के लिए अयोग्य न हो। साथ ही राज्य विधानमण्डल का सदस्य होने की पात्रता हेतु उसका नाम राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में होना चाहिए।

- विधानपरिषद् एक स्थायी सदन है।

- इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं।

## अध्याय - 6

### नैदानिक एवं उपचारात्मक

#### शिक्षण में नैदानिक एवं उपचारात्मक कार्य :-

##### भूमिका

प्रत्येक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में ऐसे छात्र होते हैं, जो मन्द गति से अध्ययन करते हैं या अध्ययन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। इनमें से कुछ छात्र, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं और कुछ विद्यालय की ओर से सदैव के लिए मुँह मोड़ लेते हैं। इस प्रकार के छात्र शिक्षकों एवं विद्यालयों के समक्ष जटिल समस्याएँ उपस्थित कर देते हैं।

इन समस्याओं के समाधानों को खोजने के लिए शिक्षक एवं विद्यालय, शिक्षण की दो नवीन विधियों - निदानात्मक एवं उपचारात्मक का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

“कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम के दोषपूर्ण प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है, ऐसा शिक्षण दोषों के निदान पर आधारित होता है और बालक की कमजोरियों को दूर करता है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग एक विस्तृत अर्थ में होता है।”

उपचारात्मक शिक्षण में भी छात्र की कठिनाइयों एवं उसके कारणों का पता लगाकर (नैदानिक परीक्षण की सहायता से) उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है।

उपचारात्मक शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्र को अलग से विषय - वस्तु को समझाने का प्रयास करता है तथा उसके साथ - साथ उसे उचित वातावरण भी दिलाने का प्रयास करता है।

उपचारात्मक शिक्षण यह शिक्षण है, जिसमें नैदानिक परीक्षण द्वारा बालक की ज्ञान की कमी को दूर करने के लिए उपचार की तरह विशेष शिक्षण कराया जाता है।

**परिभाषा** - ब्लेयर व जोन्स के अनुसार - “ जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है।

उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है।

• इसके दो प्रकार हैं :-

1. सामूहिक
2. व्यक्तिगत

1. **सामूहिक** :- यदि कक्षा के अधिकांश छात्र एक विशेष प्रकरण में कमजोर हो, तो कक्षागत सामूहिक शिक्षण किया जाता है।
2. **व्यक्तिगत** :- प्रकरण विशेष में यदि एक - दो छात्र ही कमजोर हो तो व्यक्तिगत शिक्षण निर्देशन और विशेष अभ्यास कार्य देकर उपचारात्मक शिक्षण कराया जाता है।

#### उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य:-

भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य निम्न प्रकार हैं -

- छात्रों की मानसिक कठिनाइयों को हल करना।
- अधिगम के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना।
- शिक्षा संबंधी बुरी आदतों से मुक्ति दिलाना।
- भाषा के अध्ययन अध्यापन क्रिया में सुधार करना।
- पिछड़े बालकों की पहचान करना।
- पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाने एवं भाषा का रुचिप्रद ज्ञान प्रदान करने हेतु मूल्यांकन पद्धति में परिवर्तन करना।
- उपलब्धि परीक्षण हेतु परीक्षण पदों के प्रकार निर्धारण में सहयोग करना।
- अधिगम अनुभवों तथा अधिगम प्रक्रिया के बीच में उपस्थित अवरोधक तत्वों को दूबकर उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था करना।

#### निदान के स्तर :-

- सर्वप्रथम छात्र की भाषागत शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना।
- वाचन में अस्पष्टता, स्वराघात, यति, गति, आरोह, विरोह आदि न्यूनताओं की उपचार के लिए सर्वप्रथम शिक्षक को अपना आदर्श वाचन सभी दृष्टियों से आदर्श बनाना चाहिए।

नोट - प्रिय उम्मीदवारों, यहाँ हमने केवल SAMPLE ही दिया है, पूरा टॉपिक नहीं दिया है / यदि आपको हमारे नोट्स के सैंपल अच्छे लगे हों तो कम्पलीट नोट्स खरीदने के लिए नीचे दिए गये हमारे संपर्क नंबर पर कॉल कीजिए या लिंक पर क्लिक करें / दोस्तों, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये नोट्स आपकी “राजस्थान 3<sup>rd</sup> Grade Level - 1 (REET मुख्य परीक्षा)” में पूर्ण संभव मदद करेंगे और आप “INFUSION NOTES” के साथ इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे, धन्यवाद /

**संपर्क करें - 9694804063, 9887809083, 8233195718, 8504091672**

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम -

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्न
RAS PRE. 2021	27 अक्टूबर	74 प्रश्न आये
REET (लेवल -1, 2)	2021	98 (150 में से)
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	01 दिसम्बर	65 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	13 सितम्बर	113 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)

<b>राजस्थान S.I. 2021</b>	15 सितम्बर	126 (200 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	79 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	23 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	103 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्तूबर (1st शिफ्ट)	95 (150 में से)
<b>RAJASTHAN PATWARI 2021</b>	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसंबर (1st शिफ्ट)	59 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	27 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	61 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसंबर (1st शिफ्ट)	56 (100 में से)
<b>RAJASTHAN VDO 2021</b>	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	14 नवम्बर 2021 1st शिफ्ट	91 (160 में से)
<b>U.P. SI 2021</b>	21 नवम्बर 2021 (1st शिफ्ट)	89 (160 में से)

**& Many More Exams like REET, UPSC, SSC Etc.**

दोस्तों, इनका proof देखने के लिए नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें या हमारे youtube चैनल पर देखें -

**RAS PRE.** - [https://www.youtube.com/watch?v=p3\\_i-3qfDy8&t=136s](https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=136s)


**VDO PRE.** - <https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856Wl8&t=202s>

**Patwari** - <https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=103s>

अन्य परीक्षाओं में भी इसी तरह प्रश्न आये हैं Proof देखने के लिए हमारे youtube चैनल (Infusion Notes) पर इसकी वीडियो देखें या हमारे नंबरों पर कॉल करें।

whatsapp- <https://wa.link/hx3rcz> 2website- <https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes>

संपर्क करें- 9887809083, 8233195718, 9694804063, 8504091672

<b>ONLINE ORDER के लिए OFFICIAL WEBSITE</b>	Website- <a href="https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes">https://bit.ly/l1-3rd-grade-notes</a>
<b>PHONE NUMBER</b>	<a href="tel:+918504091672">+918504091672</a> <b>9887809083</b> <a href="tel:+918233195718">+918233195718</a> <a href="tel:+919694804063">9694804063</a>
<b>TELEGRAM CHANNEL</b>	<a href="https://t.me/infusion_notes">https://t.me/infusion_notes</a>
<b>FACEBOOK PAGE</b>	<a href="https://www.facebook.com/infusion.notes">https://www.facebook.com/infusion.notes</a>
<b>WHATSAPP करें</b> 	<a href="https://wa.link/hx3rcz">https://wa.link/hx3rcz</a>